**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 911/2022

IN THE MATTER OF:
NGT Bar Association (substituted for original applicants Prof. Dr. Sanjeev Bagai & Ors.) ... Applicant

Vs

Department of Environment GNCTD & Ors. ... Respondents

I N D E X

Sl. No.	Particulars	Pg No.
1.	Reply on behalf of the Respondent - Govt. of NCT of Delhi	1-4
2.	**Annexure R-1:** Copy of the notification dated 22.04.2016constituting Tree Authority	5-6
3.	**Annexure R-2:** Copy of the SOP dated 24.04.2025 for Tree Felling / Transplantation	7-22
4.	**Annexure R-3:** Copy of the SOP dated 02.05.2025 for Tending and Pruning of Trees	23-28
5.	**Annexure R-4:** Copy of the Notification dated 06.06.2025 for direction to Tree Officers under Section 33 of DPTA, 1994	29-33
6.	**Annexure R-5 :** Copy of the notification dated 18.05.2026 SOP in respect of Tree offence	34-49
7.	**Annexure R-6:** Copy of the Notification dated 20.08.2025 adopting the WBI Guidelines, 2016	50-51
8.	**Annexure R-7:** Copy of the Notification dated 20.08.2025 for constitution of SLC	52-54

4096

9.	**Annexure R-8:** Copy of the Sanction Order dated 06.02.2026	55
10.	Affidavit	56-57

FILED BY:

NEW DELHI
DATED:19.06.2026

(JYOTI MENDIRATTA)
Advocate for the GNCT of Delhi

Ph: 9811136141
jmalawoffices@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 911/2022

IN THE MATTER OF:

NGT Bar Association (substituted for original applicants Prof. Dr. Sanjeev Bagai & Ors.) ... Applicant

Vs

Department of Environment GNCTD & Ors. ... Respondents

REPLY ON BEHALF OF THE GOVT. OF NCT OF DELHI TO THE RECCOMENDATION OF THE JOINT COMMITTEE REPORT IN COMPLIANCE ORDER DATED 29.10.2025 and 27.01.2026

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present Reply is being filed in compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal vide Orders dated 29.10.2025 and 27.01.2026, in relation to the recommendations of the Joint Committee.

2. At the outset, it is respectfully submitted that the Government of NCT of Delhi has already put in place a comprehensive statutory and regulatory framework governing the protection, preservation and management of trees, primarily under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 ("DPTA"). The said Act inter alia provides for:

   (a) restriction on felling/removal of trees,

   (b) procedure for grant of permissions,

   (c) obligation to plant trees (compensatory plantation), and

   (d) preservation and protection mechanisms (Sections 8–11).

3. It is further submitted that, in compliance with the statutory mandate under the DPTA, the Tree Authority has already been constituted vide notification dated 22.04.2016, copy whereof is annexed hereto and marked as **AnnexureR-1**. The said Authorityhas since been functioning in accordance with law.

4. Thatthe GNCTD has also notified multiple Standard Operating Procedures ("SOPs") to ensure transparency, accountability and scientific management of tree-related activities, including:
   (a) SOP for Tree Felling / Transplantation dated 24.04.2025- annexed hereto as **Annexure R-2**;
   (b) SOP for Tending and Pruning dated 02.05.2025- annexed hereto as **Annexure R-3**;
   (c) Notification dated 06.06.2025 whereby directions were issued to Tree Officers under Section 33 read with Section 8 of the DPTA – annexed hereto as **Annexure R-4**.

   These SOPs comprehensively lay down procedures for and regulate permissions, inspection, compensatory plantation and monitoring mechanisms.

5. It is respectfully submitted that a further SOP to deal with Tree Offences under the DPTA, 1994 has been notified through official gazette notification dated 18.05.2026 . Copy of the SOP is annexed as **Annexure R-5**.

6. The GNCTD has also adopted the Wood-Based Industries (Establishment & Regulation) Guidelines, 2016 ("WBI Guidelines) vide notification dated 20.08.2025, which is annexed hereto as **Annexure R-6.**

7. Accordingly under para 3(2) of the WBI Guidelines, a State Level Committee (SLC) has been constituted vide notification dated 20.08.2025 to regulate licensing to wood based industrial units and to assess timber requirements and availability in the domestic market. The SLC is also empowered to assess quantity of different raw material requirements for wood based industrial units which may be sourced from trees outside of forests. Copy of the said notification dated 20.08.2025 is annexed hereto as **Annexure R-7.**

8. It is submitted that the Forest Department has established a 24×7 Green Tree Helpline (Toll Free No. 1800-11-8600) to enable real-time reporting of violations and redressal of tree-related issues, thereby strengthening enforcement and public participation.

9. Further, in order to ensure data-driven environmental governance, the Forest Department has sanctioned a sum of Rs. 2.90 Crores (as part of a total project outlay of Rs. 393.88 lakhs) to the Forest Research Institute for conducting a Tree Census in NCT of Delhi, vide sanction order dated 06.02.2026, copy of which is annexed hereto as **Annexure R-8**.

10. The aforesaid statutory framework, institutional mechanism and ongoing initiatives clearly demonstrate that the Respondent Government is actively addressing the issues raised in the present

proceedings and continuously taking proactive, structured and policy-driven steps for protection, monitoring and augmentation of tree cover in the NCT of Delhi. It is thus respectfully submitted that the concerns forming subject matter of the present proceedings are already being duly dealt with.

11. The present Reply is therefore filed for the kind consideration of this Hon'ble Tribunal and it is respectfully prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

THROUGH

NEW DELHI
DATED: 19.06.2026

(JYOTI MENDIRATTA)
Advocate for the GNCT of Delhi
Ph: 9811136141
jmalawoffices@gmail.com

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 19]
No. 74] DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938 [N.C.T.D. No. 19]

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

फा.सं.एफ.8(193)/सी. एफ/टी. ए/07–08/3345-52.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सभी पिछली अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल धारा 4 तथा 7 में यथाउल्लिखित उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु वृक्ष प्राधिकरण का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

i. सचिव (पर्यावरण एंव वन), दिल्ली सरकार	– अध्यक्ष
ii. श्री मदन लाल, सदस्य दिल्ली विधान सभा, दिल्ली	– सदस्य
iii. कु0 भावना गौंर, सदस्य दिल्ली विधान सभा, दिल्ली	– सदस्य
iv. अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक वन, दिल्ली सरकार, दिल्ली	– सदस्य
v. उप–आयुक्त, दिल्ली, विभागीय आयुक्त, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि	– सदस्य
vi. निदेशक (बागवानी), दिल्ली नगर निगम (उत्तरी/दक्षिणी/पूर्वी) {4 महीने के लिए नियमित आर्वतन}	– सदस्य
vii. निदेशक (बागवानी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि	– सदस्य
viii. उप–वन संरक्षक, (मु0) दिल्ली सरकार, दिल्ली	– सदस्य सचिव

दो सदस्यों को पर्यावरण वकीलों और पर्यावरण दिल्ली की गैर सरकारी संगठनों के बीच से दो वर्ष की अवधि के लिए सहयोजित किया जा सकता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलानंद जोशी, विशेष सचिव(पर्यावरण वन एवं वन्य जीव)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd April, 2016

No.F.8(193)/CF/TA/07-08/ 3345-52.—In exercise the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Act No. 11 of 1994) and in supersession of all the previous notifications dated 28/12/2011 relating to the constitution the Tree Authority, the National Capital Territory of Delhi, comprising of the following:-

i.	Secretary (Environment & Forest), Government of NCT of Delhi	- Chairman
ii.	Shri Madan Lal, Member of the Legislative Assembly of NCT of Delhi	- Member
iii.	Ms. Bhawna Gaur, Member of the Legislative Assembly of NCT of Delhi	- Member
iv.	Addl. Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of NCT of Delhi	- Member
v.	Deputy Commissioner, Delhi (now Divisional Commissioner, Delhi)	- Member
vi.	Director (Horticulture.), MCD (North/ South/ East) {By rotation for 4 months)	- Member
vii.	Director (Horticulture.), NDMC as representative of the local bodies	- Member
viii.	Dy. Conservator of Forests (HQ), Govt. of NCT of Delhi.	- Member Secretary

Two members may be co-opted for a period of two year from amongst Environment Lawyers and Environment, NGOs of Delhi

By Order and in the Name of the Government of National Capital Territory of Delhi,

KULANAND JOSHI, Spl. Secy. (Environment, Forests & Wildlife)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

4103

ANNEXURE R-2

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17052025-263174
SG-DL-E-17052025-263174

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2025/वैशाख 25, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 48
No. 148]	DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2025/VAISAKHA 25, 1947	[N. C. T. D. No. 48

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अप्रैल, 2025

No. F.1(2554)/Legal/HQ/23-23/1022 :- दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में, एतद्द्वारा, "दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम 1994 के अंतर्गत वृक्षों की कटाई / प्रत्यारोपण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया" अधिसूचित करती है।

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण क लिए मानक संचालन प्रक्रिया

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 **(तत्पश्चात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करता है। अधिनियम का उद्देश्य वृक्षों को संरक्षित करना है तथा जब तक आवश्यक न हो, वृक्षों को काटने या गिराने की अनुमति नहीं देना है। अधिनियम के उद्देश्य पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि वृक्षों को गिराने या काटने की अनुमति केवल अपवाद के रूप में दी जा सकती है, न कि नियमित रूप से। अधिनियम के प्रावधान सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को दोहराते हैं, जो राज्य को वृक्षों सहित प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का भी आदेश देता है।

भारत के संविधान के 21, 48 क तथा 51 क (छ) को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि राज्य को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार और सुरक्षा करने का अधिकार है। वृक्ष हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एहतियाती सिद्धांत के अनुसार सरकारों को पर्यावरण क्षरण के कारणों का पूर्वानुमान लगाना, रोकना तथा उनका समाधान करना या उन्हें खत्म करना चाहिए, जिसमें उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भी शामिल है। एक भी पूर्ण विकसित वृक्ष की अवैध कटाई पर्यावरण और समस्त समाज को नुकसान पहुंचाती है।

इस अधिनियम का उद्देश्य और लक्ष्य, अन्य बातों के साथ–साथ, समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वनरोपण, पुनर्वनरोपण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, तथा दिल्ली में वृक्षों एवं वनों के प्रति नागरिकों में सहज स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देना है।

अधिनियम के तीन मुख्य भाग हैं। पहला भाग वृक्षों को गिराने की अनुमति देने, दूसरा भाग वृक्ष प्राधिकरण के कर्तव्यों तथा तीसरा भाग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने से संबंधित है। इसमें अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे भूमि के मालिकों का वृक्षों को संरक्षित करने का दायित्व।

1. वृक्ष संरक्षण से संबंधित दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की महत्वपूर्ण विशेषताएं :

1.1 अधिनियम की धारा 2(i) के अनुसार "वृक्ष" से अभिप्राय किसी काष्ठीय पौधे से है जिसकी शाखाएं अधिनियम में यथापरिभाषित किसी तने या शरीर से निकलती है तथा उस पर टिकी होती हैं।

1.2 अधिनियम की धारा 2 (**झ**) के अंतर्गत "वृक्ष गिराने" को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (**झ**) के अंतर्गत इस परिभाषा के अनुसार, "वृक्ष गिराने" का अभिप्राय, वृक्ष के तने को जड़ों से अलग करना, वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ना तथा इसमें बुलडोजर से गिराना, काटना, घेरा बनाना, वृक्ष को काटना–छांटना, पोलर्डिंग, वृक्षनाशाओं का प्रयोग करना, जलाना या किसी अन्य तरीके से वृक्ष को क्षति पहुंचाना शामिल है।

1.3 धारा 8, अधिनियम की धारा 2 (ट) के अंतर्गत नियुक्त वृक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना वृक्षों को गिराने पर रोक लगाती है, सिवाय उन स्थितियों के जहां यदि वृक्ष को तुरंत नहीं गिराया जाता है, तो जीवन या संपत्ति या यातायात के लिए गंभीर खतरा होने की संभावना है। – ऐसे मामलों में भूमि का स्वामी ऐसे वृक्ष को गिराने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकता है और ऐसे वृक्ष के गिरने के चौबीस घंटे के भीतर वृक्ष अधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा।

1.4 धारा 9(2) के अंतर्गत वृक्ष अधिकारी वृक्ष गिराने की अनुमति दे सकता है/नहीं दे सकता। प्रासंगिक रूप से, धारा 9(3) के परन्तुक के अंतर्गत, वृक्ष अधिकारी एक ही वर्ष में एक ही क्षेत्र से दो बार से अधिक कटाई की अनुमति नहीं दे सकता, बशर्ते कि अधिकतम क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर हो।

1.5 धारा 11 के अंतर्गत भूमि स्वामियों को अपनी भूमि पर वृक्षों के संरक्षण एवं सुरक्षा का आदेश दिया गया है, जो धारा 10 के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन में लगाए गए हैं तथा यदि स्वामी द्वारा पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते हैं तो वृक्ष अधिकारी वृक्षों के संरक्षण के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

1.6 अधिनियम की धारा 29, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सार्वजनिक हित में अधिनियम के समस्त या किसी भी प्रावधान से किसी क्षेत्र या वृक्षों की किसी भी प्रजाति को छूट देने का अधिकार देती है।

1.7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए एक वर्ग के वृक्षों को गिराने पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का अधिकार भी दिया गया है।

1.8 अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए वृक्ष अधिकारी, वृक्ष प्राधिकरण और वृक्ष प्राधिकरण के अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कार्यों के निर्वहन के संबंध में निर्देश दे सकती है।

2. वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण के लिए आवेदक द्वारा उपलब्ध किया जाने वाला विवरण।

2.1. यदि किसी आवेदक को किसी अन्य कारण से पता चले कि वृक्ष (वृक्षों) की कटाई/प्रत्यारोपण करना आवश्यक है, तो उसे वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन में निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध करने होंगे :

i. डीपीटीए ई–फॉरेस्ट पोर्टल पर सभी प्रकार से विधिवत भरा हुआ प्रपत्र।

ii. स्वामित्व के पंजीकृत दस्तावेज़ की स्व–सत्यापित प्रति तथा/या नगरपालिका अथवा राजस्व रिकॉर्ड की प्रति जिसमें संपत्ति के स्वामित्व का स्पष्ट विवरण हो या तहसीलदार द्वारा जारी भूमि रिकॉर्ड की जमाबंदी ।

iii. यदि आवेदक भूमि का स्वामी नहीं है तो भूमि स्वामी (स्वामियों) से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

iv. संपूर्ण क्षेत्र के वृक्षों की गणना सूची (प्रजातियां और परिधि) (आवेदक या आवेदक के अधिकृत एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित), जिसमें गणना संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले भू–संदर्भित फोटोग्राफ शामिल हों (प्रत्येक वृक्ष को आवेदक द्वारा एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी)।

v. सीमा विवरण (आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित)।

vi. वचनबद्धता कि अन्य सभी अनुमतियां/अनुमोदन, जो भी आवश्यक हों, प्राप्त कर लिए गए हैं या प्राप्त किए जा रहे हैं।

vii. उस स्थान का विवरण (केएमएल फाइल, क्षेत्र, खसरा विवरण सहित स्वामित्व प्रमाण) जहां वृक्षों को प्रत्यारोपित किया जाना प्रस्तावित है और प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, यदि लागू हो।

viii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वचनबद्धता, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित भूमि का उक्त टुकड़ा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित नहीं है, जिसमें प्रतिपूरक वृक्षारोपण/वनरोपण/किसी अन्य परियोजना के लिए प्रतिपूरक प्रत्यारोपण शामिल है (यदि लागू हो)।

ix. वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, 2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में वृक्ष संरक्षण योजना।

x. यदि आवेदन किसी विकास परियोजना से संबंधित है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज (उपर्युक्त दस्तावेजों (क्रम संख्या i से ix) के अतिरिक्त) भी प्रस्तुत किए जाएंगे –

क) परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले विचार किए गए अन्य व्यवहार्य विकल्पों का विवरण, यदि कोई हो, ताकि प्रभावित वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो सके।

ख) विस्तृत वास्तुकला चित्रों की एक प्रति (खसरा संख्या दर्शाते हुए चित्र फ़ाइल प्रारूप में) जिसमें प्रस्तावित परियोजना के स्केल अभिविन्यास और संरेखण पर वृक्षों का आवरण शामिल है।

3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण और प्रत्यारोपण

3.1 अधिनियम की धारा 10 में प्रत्येक काटे गए/प्रत्यारोपित वृक्ष के लिए निश्चित संख्या में वृक्ष लगाए जाने का प्रावधान है (जिसे प्रतिपूरक वृक्षारोपण कहा जाए)। प्रत्येक गिराए गए/ प्रत्यारोपित वृक्ष के लिए मानक के रूप में, आवेदक को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्दिष्ट उपयुक्त प्रजातियों के उतने ही वृक्षों के पौधे लगाने होंगे।

3.2 यदि आवेदक द्वारा काटे जाने वाले/प्रत्यारोपित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या पच्चीस से कम या उसके बराबर है, तो प्रतिपूरक वृक्षारोपण/प्रत्यारोपण, यदि संभव हो तो, आवेदक द्वारा स्वयं किया जाएगा; अन्यथा, संबंधित वृक्ष अधिकारी द्वारा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए वन विभाग द्वारा आवेदक को ऐसे वृक्षारोपण/प्रत्यारोपण तथा सात वर्षों तक उसके रखरखाव के लिए अपेक्षित धनराशि प्रदान की जाएगी।

3.3 शेष मामलों में (पच्चीस से ज़्यादा वृक्षों की कटाई/ प्रत्यारोपण के लिए), आवेदक को प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्ध करानी होगी। आवेदक को ऐसी भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण तथा उसके रखरखाव का खर्च भी उठाना होगा, जो वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाता है।

3.4 वृक्ष अधिकारी प्रतिपूरक वृक्षारोपण या प्रत्यारोपण के लिए प्रस्तावित भूमि के बारे में अपेक्षित परिश्रम करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्यमान वृक्षारोपण में संवर्धन/अंतराल–रोपण को भी प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए माना जाएगा ।

3.5 यदि आवेदक स्वयं वृक्षारोपण करता है, तो वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा यथानिर्धारित सुरक्षा जमा के रूप में एक राशि आवेदक को वृक्ष अधिकारी के पास जमा करानी होगी। वृक्ष अधिकारी द्वारा आवेदक को यह राशि (सात वर्ष

बाद) वापस कर दी जाएगी, यदि सात वर्षों में वृक्षारोपण (यथा अपेक्षित रोपित वृक्षों की संख्या) पूर्ण रूप से वृक्षों के रूप में विकसित हो जाता है।

3.6 यदि आवेदक को प्रतिपूरक वृक्षारोपण करना है, लेकिन वह सफल प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहता है, तो वृक्ष अधिकारी द्वारा सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और उसी प्रस्तावित स्थल पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जाएगा। आगे आवेदक को अतिरिक्त स्थल पर सुधार व्यय जमा करने के लिए बाध्य किया जाएगा, जो संबंधित वन विभाग/वृक्ष अधिकारी द्वारा गणना के अनुसार स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त बनाना अपेक्षित हो सकता है।

3.7 वृक्षों के प्रत्यारोपण हेतु समय–समय पर संशोधित प्रत्यारोपण नीति, 2020 का पालन किया जाएगा।

3.8 आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य किया जाएगा कि जहां से वृक्षों को काटा गया है, उस क्षेत्र में या उसके आसपास के क्षेत्र में, जहां तक संभव हो, प्रतिपूरक वृक्षारोपण/प्रत्यारोपण विधिवत रूप से किया जाए।

3.9 लगाए गए या प्रत्यारोपित किए गए प्रत्येक वृक्ष को जियो–टैग किया जाएगा तथा किए गए वृक्षारोपण का विवरण वन विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वृक्षारोपण करने वाली एजेंसी द्वारा संबंधित वृक्षों की कटाई की अनुमति के विरुद्ध वृक्षारोपण की वार्षिक प्रगति (तिथि के साथ भू–संदर्भित तस्वीरें) अपलोड की जाएंगी।

4. वृक्ष अधिकारी द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण हेतु धारा 9(1) के अंतर्गत आवेदन पर विचार

4.1 वृक्ष अधिकारियों का मूल कार्य और कर्तव्य वृक्षों को संरक्षित करना है, इसलिए केवल आवश्यक होने पर तथा उचित कारणों से ही वृक्षों को काटने/प्रत्यारोपण की अनुमति दी जाएगी।

4.2 वृक्ष अधिकारी द्वारा वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण हेतु आवेदन की एक प्रति भूमि विवरण के साथ अनिवार्य रूप से एमसीडी या एनडीएमसी या डीडीए या छावनी बोर्ड को उनकी जानकारी के लिए भेजी जाएगी, जिनके अधिकार क्षेत्र में उक्त क्षेत्र आता है। ये प्राधिकारी अपनी टिप्पणियां/आपत्तियां, यदि कोई हों, तो आवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर, यदि काटे जाने/प्रत्यारोपण किए जाने वाले वृक्षों की संख्या 50 या उससे अधिक है, तो सीईसी को अन्यथा वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

4.3 वृक्ष अधिकारी स्थल का दौरा करने के बाद यह तय करेंगे कि आवेदक द्वारा वृक्षों की कटाई करने या स्थानांतरण करने की मांग आवश्यक है या नहीं। वृक्ष अधिकारी यथासंभव अधिक से अधिक वृक्षों को बचाने का प्रयास करेंगे। वृक्ष अधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वृक्षों को छंटाई या किसी अन्य तरीके से कटाई/प्रत्यारोपण से बचाया जा सकता है।

4.4 डीपीटीए ई–फॉरेस्ट पोर्टल पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत परियोजना क्षेत्र की स्वीकृत लेआउट योजना जिसमें भवन योजना, सड़क और अन्य संरचनाएं आदि शामिल हैं, जो आवेदक द्वारा जमीन पर (1:1 के पैमाने पर) सीमांकित की जाएगी। डीपीटीए ई–फॉरेस्ट पोर्टल पर परियोजना क्षेत्र हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत वृक्षों की गणना सूची (प्रत्येक वृक्षा को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी) जिसमें बचाए जाने वाले, प्रत्यारोपित किए जाने वाले और काटे जाने वाले वृक्ष शामिल हैं, को वृक्ष अधिकारी और आवेदक द्वारा जमीनी स्तर पर संयुक्त रूप से सत्यापित और प्रमाणित किया जाएगा।

4.5 वृक्ष अधिकारी परियोजना क्षेत्र में सभी वृक्षों की सावधानी पूर्वक जांच एवं निरीक्षण करेगा ताकि काटे जाने/प्रत्यारोपित किए जाने वाले वृक्षों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की जा सके। इस प्रक्रिया के बाद, वृक्ष अधिकारी बचाए जाने, प्रत्यापित किए जाने तथा काटे जाने वाले वृक्षों की सूची को अंतिम रूप देगा।

4.6 एक बार जब वृक्षों की सूची को प्रमाणित कर दिया जाता है और कटाई/प्रत्यारोपण के लिए अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो आवेदक संबंधित वृक्ष के चारों ओर दो छल्लों के रूप में वृक्षों को पेंट से 'चिह्नित' करेगा, अर्थात प्रत्यारोपित किए जाने वाले वृक्षों के लिए 'पीला' और काटे जाने वाले वृक्षों के लिए 'लाल'।

4.7 अधिनियम के अंतर्गत वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण के लिए वृक्ष अधिकारी द्वारा एक सकारण आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) जारी किया जाएगा। कटाई/प्रत्यारोपण की अनुमति दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, जिसे आवेदक द्वारा उचित

औचित्य प्रस्तुत किए जाने पर बढ़ाया जा सकता है। अनुमति की वैधता समाप्त होने पर, आवेदक को अनुमति के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

4.8 धारा 9 की उपधारा (3) के परन्तुक इस प्रकार हैः

"9. किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निपटाने की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया –

(3) ..... यह भी उपबंधित है कि किसी व्यक्ति को एक ही वर्ष के दौरान एक ही क्षेत्र से दो से अधिक बार अनुमति नहीं दी जाएगी। बशर्ते एक समय में अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र हो।

4.9 यदि वृक्ष अधिकारी यह पाता है कि उसी क्षेत्र के संबंध में उसी वर्ष वृक्षों के गिराने के लिए दूसरा आवेदन किया गया है तथा पहले और दूसरे आवेदनों द्वारा कवर किए गए वृक्षों की कुल संख्या 49 से अधिक है, यद्यपि दूसरे आवेदन द्वारा मांगी गई अनुमति 50 से कम वृक्षों के संबंध में हो, दूसरे आवेदन पर दी गई अनुमति पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसका केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (संक्षेप में, "सीईसी") द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है तथा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

4.10 वृक्ष अधिकारी अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि उसी संपत्ति के संबंध में उस विशेष वर्ष (कैलेंडर वर्ष) में अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किए गए आवेदनों की संख्या के बारे में दस्तावेजों द्वारा समर्थित घोषणा न हो।

4.11 अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (4) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677/1985 एमसी मेहता बनाम यूओआई में दिनांक 19/12/2024 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई है, और इसलिए यह वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर लागू नहीं होगी।

5. 50 या अधिक वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण की अतिरिक्त शर्तें

5.1 जब भी कोई वृक्ष अधिकारी अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 9 के अनुसरण में 50 या अधिक वृक्षों के काटने/प्रत्यारोपण की अनुमति देता है, तो उक्त अनुमति पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसे सीईसी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता।

5.2 जब भी अधिनियम के अंतर्गत वृक्ष अधिकारी 50 या उससे अधिक वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण की अनुमति देता है, तो ऐसी अनुमति देने के तुरंत बाद, वृक्ष अधिकारी आवेदन के पूरे रिकॉर्ड के साथ अनुमति की एक प्रति सीईसी को भेजेगा। दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात्, सीईसी हेतु संबंधित वृक्ष अधिकारी को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी और अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

5.3 सीईसी आवेदनों एवं सभी प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी तथा निर्णय लेगी कि क्या अनुमति प्रदान की जानी चाहिए या नहीं अथवा अनुमति में या अनुमति के अंतर्गत लगाए गए नियमों और शर्तों में कोई संशोधन अपेक्षित है। सीईसी, सम्पूर्ण मामले की जांच करने के पश्चात, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर सकती है तथा/या उन नियमों व शर्तों को संशोधित कर सकती है जिन पर वृक्ष अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

5.4 50 या उससे अधिक वृक्षों को काटने/प्रत्यारोपित करने की अनुमति देते समय, जब तक कि मामला असाधारण न हो, वास्तविक वृक्ष–काटने का कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिपूरक वनरोपण के माध्यम से वृक्ष लगाने की आवश्यकता का अनुपालन न किया जाए। सीईसी के आदेश प्राप्त करने के बाद, वृक्ष अधिकारी सीईसी के आदेश को प्रभावी बनाने के लिए अपने द्वारा पारित आदेशों में संशोधन करेंगे।

5.5 सीईसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, परियोजना प्रस्तावक या आवेदक जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत आवेदन करता है, सीईसी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य होगा।

5.6 रिट याचिका/याचिकाओं (सिविल) संख्या 4677/1985 एमसी मेहता बनाम यूओआई में दिनांक 19/12/2024 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी दिशा–निर्देशों का वृक्ष अधिकारी द्वारा मामले–दर–मामले के आधार पर पालन किया जाएगा। ये दिशा–निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक 19.12.2024 से लागू हैं तथा अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 के अंतर्गत सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होंगे।

5.7 इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को 50 या अधिक वृक्षों को कटाने/प्रत्यारोपित करने के लिए भी सहमति सीईसी द्वारा दी गई है।

5.8 50 या अधिक वृक्षों की अवैध कटाई के मामले में, वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर सीईसी को सूचित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

अनुलग्नक– 1

वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत मॉडल सांकेतिक अनुमति आदेश

(वन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आशोधित किया जाएगा)

विषयः वृक्षों के प्रत्यारोपण की अनुमति

जबकि, डीपीटीए ई–फॉरेस्ट पोर्टल पर आवेदन संख्या .... दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (तत्पश्चात् 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के अंतर्गत ....(प्रयोजन) हेतु .... (वृक्षों की संख्या) के प्रत्यारोपण तथा .... वृक्षों की संख्या की कटाई के संबंध में प्राप्त हुआ है।

और जबकि, प्रत्यारोपित और काटे गए सभी वृक्षों की सूची, जिसमें वृक्षों के नाम, परिधि माप, फोटोग्राफ के साथ भौगोलिक–निर्देशांक शामिल हैं, इस कार्यालय में प्राप्त हुई तथा सही पाई गई।

और जबकि, आवेदक द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 के अनुसार एक वृक्ष संरक्षण योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्रत्यारोपित वृक्षों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डाला गया था।

और जबकि, केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (तत्पश्चात् 'सीईसी' के रूप में संदर्भित) के दिनांक .... के अनुमोदन के पश्चात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक .... के आदेश संख्या .... के माध्यम से अधिनियम की धारा 29 (यदि लागू हो) के अंतर्गत दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) की शर्त के अधीन छूट दे दी गई है।

और जबकि, आवेदक द्वारा परियोजना का विवरण स्थल पर तैयार किया गया था तथा परियोजना स्थल का निरीक्षण किया गया था और गिराए जाने वाले एवं प्रत्यारोपित किए जाने वाले वृक्षों की सूची को और अधिक परिष्कृत किया गया था ताकि अधिक वृक्षों को बचाया जा सके।

और जबकि, परियोजना से प्रभावित होने वाले सभी वृक्षों को क्रमांकित पाया गया तथा प्रस्तुत वृक्षों की सूची को समुचित जांच के बाद अंतिम रूप दिया गया।

और जबकि, प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ––––––(स्थल का नाम) का क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था और इसे –––––(प्रजातियों की सूची) की .... संख्या में वृक्षों के पौधे लगाने के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त पाया गया था, या

और जबकि, ––––––(स्थल का नाम) पर प्रस्तावित प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल वन विभाग/.........विभाग (यदि इसे वन समझा जाए) द्वारा प्रदान किया गया है, और –––––(प्रजातियों की सूची) के वृक्ष के पौधे.............. संख्या में पौधे लगाने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त पाया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपभोगी संस्था ने अपेक्षित राशि ––––––– जमा कर दी है।

और जबकि, प्रस्तावित प्रत्यारोपण स्थल ------(स्थल का नाम) का निरीक्षण किया गया और इसे .... संख्या में वृक्षों के प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त पाया गया।

और जबकि, ------(उपभोगी संस्था का नाम) ने वृक्षों के प्रत्यारोपण के लिए वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास ------ रुपए की सुरक्षा राशि जमा कर दी है।

और जबकि, सीईसी का अनुमोदन (जहां भी लागू हो) दिनांक .... के पत्र संख्या .... अंतर्गत प्राप्त हो गया है।

अब, इसलिए संलग्न नियमों व शर्तों को पूरा करने के अधीन ---- संख्या के वृक्षों के प्रत्यारोपण और ---- संख्या के वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाती है।

प्रत्यारोपित और काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

क्र0सं0	वृक्षों की प्रजातियाँ	आवेदन के अनुसार वृक्षों की संख्या	वृक्षों का स्थान (भौगोलिक निर्देशांक सहिता)	प्रत्यारोपण/कटाई का कारण

अनुलग्नक– 2

प्रत्यारोपण/कटाई हेतु मॉडल सांकेतिक नियम एवं शर्तें

(समय–समय पर आवश्यकतानुसार वन विभाग द्वारा आशोधित किया जाएंगे। शर्तें, अधिनियम और अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होंगी)

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों की कटाई/प्रत्यारोपण हेतु अनुमति प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली विशिष्ट और सामान्य शर्तों की सांकेतिक सूची

विशिष्ट शर्तें

1. आवेदक को कटाई/प्रत्यारोपण हेतु अनुमत वृक्षों की संख्या---- का प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पर पूरा करना होगा, जिसके लिए आवेदक को वन विभाग के पास वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि -------------- जमा की जाएगी। यदि आवेदक प्रतिपूरक वृक्षारोपण सफलतापूर्वक करता है और 07 (सात) वर्षों तक वृक्षारोपण का रखरखाव करता है, तो सुरक्षा जमा राशि बाद में वापस कर दी जाएगी। यदि वृक्षारोपण का सफलता प्रतिशत 100% से कम है, तो वृक्षारोपण की विफलता के प्रतिशत के अनुपात में सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी तथा वन विभाग वृक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित उसी स्थल पर या किसी अन्य स्थल पर, प्रत्यारोपित असफल पौधों की संख्या के बराबर प्रतिपूरक वृक्षारोपण करेगा। आवेदक को वापस की गई सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यद्यपि, वापसी के समय ऐसे वृक्षारोपण और इसके सात वर्ष तक रखरखाव आदि के लिए आवश्यक वास्तविक राशि काट ली जाएगी।

2. यदि आवेदक वृक्ष अधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारित स्थल पर वृक्षारोपण करने में विफल रहता है, तो वृक्षारोपण और उसका रखरखाव वन विभाग द्वारा आवेदक की लागत पर उसी स्थल पर किया जाएगा। आवेदक वन विभाग द्वारा गणना की गई आवश्यक धनराशि के साथ उस स्थल को वन विभाग को सौंप देगा।

सामान्य शर्तें:

i. यह अनुमति दो वर्ष की अवधि के लिए वैध है, जिसे वैध कारणों पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

ii. यदि आवेदक प्रतिपूरक वृक्षारोपण कर रहा है, तो आवेदक को अधिनियम की धारा 12 के अनुपालन में विस्तृत वृक्षारोपण कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी।

iii. किसी भी माननीय न्यायालय तथा/या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए या जारी किए जाने वाले सभी संबंधित दिशा–निर्देशों का आवेदक द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।

iv. आवेदक को वृक्ष कटाई/प्रत्यारोपण शुरू करने से कम से कम 3 दिन पहले वृक्ष अधिकारी के कार्यालय को सूचित करना होगा।

v. वृक्षों को काटने/प्रतिरोपित करने की अनुमति आवेदक के स्वयं के जोखिम पर दी जाती है तथा किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दी जाती है, जिनका भूमि या वृक्षों पर कोई अधिकार हो सकता है/हो सकते हैं।

vi. स्थानांतरित किए जाने वाले वृक्षों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए।

vii. प्रत्यारोपण नीति, 2020 में निर्दिष्ट सभी शर्तों का आवेदक द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।

viii. किसी भी ऐसे वृक्ष को काटना/प्रत्यारोपित नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी पक्षी, गिलहरी या सांप का घ घोंसला/गड्ढा हो, जब तक कि घोंसला/गड्ढा खाली न कर दिया जाए।

ix. छंटाई के कारण उत्पन्न होने वाले टहनियों और शीर्षों को निकटतम सार्वजनिक श्मशान भूमि पर भेजा जा सकता है तथा रसीद की एक प्रति वृक्ष अधिकारी को भेजी जा सकती है।

x. आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना के निर्माण/विकास के दौरान संरक्षित वृक्षों को कोई नुकसान न हो।

xi. आवेदक पर्याप्त सावधानी बरतेगा तथा वृक्षों के कटाई/प्रत्यारोपण के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

xii. परियोजना भूमि से वृक्षों की कटाई हेतु यदि भूमि–स्वामित्व वाली एजेंसी को कोई क्षतिपूर्ति की जानी है, तो उसका भुगतान परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 24th April, 2025

No. F.1(2554)/Legal/HQ/23-23/1022.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi, in public interest, hereby, notifies “Standard Operating Procedure (SOP) For Tree Felling / Transplantation under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994”

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) FOR TREE FELLING / TRANSPLANTATION UNDER DELHI PRESERVATION OF TREES ACT, 1994

The Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (**hereinafter referred to as** “the Act”) regulates the felling of trees in NCT of Delhi. The object of the Act is to preserve the trees and not to permit cutting or felling of the trees, unless necessary. Considering the object of the Act, it is evident that the permission for felling or cutting of the trees can be granted only by way of an exception and not in a routine manner. The provisions of the Act reiterate the public trust doctrine, which enjoins the State to protect the natural resources, including the trees.

On a joint reading of Articles 21, 48A and 51A (g) of the Constitution of India, it is apparent that the State is mandated to protect, improve and safeguard the natural environment. Trees are a vital part of our environment. The precautionary principle requires the governments to anticipate, prevent, and remedy or eradicate the causes of environmental degradation, including acting sternly against the violators. Illegal felling of even a single fully grown tree hurts the environment and the society as a whole.

The aim and objective of the Act, *inter alia,* is to promote afforestation, reforestation and environmental protection throughproactive participation of the community, and also to promote a sense of innate ownership amongst the citizens, towards trees and forests in Delhi.

There are three major parts of the Act. The first part deals with the grant of permissions to fell the trees, the second part is about the duties of the Tree Authority, and the third part is about penalizing the persons for committing breaches of the provisions of the Act. There are other provisions, such as the obligation of the owners of the lands to preserve the trees.

1. IMPORTANT FEATURES OF THE DELHI PRESERVATION OF TREES ACT, 1994, RELATED TO TREE PRESERVATION:

1.1 As per Section 2(i) of the Act “tree” means any woodyplant whose branches spring from and are supported upon a trunk or body as defined in the Act.

1.2 “To Fell a Tree” has been defined under Section 2(h) of the Act. As per this definition under Section 2(h) of the Act, "to fell a tree" with its cognate expression, means severing the trunk from the roots, uprooting the tree and includes bulldozing, cutting, girdling, lopping, pollarding, applying arboricides, burning or damaging a tree in any other manner.

1.3 Section 8 prohibits felling of trees without permission of the Tree Officer appointed under Section 2(j) of the Act except in situations where if the tree is not immediately felled, there would be grave danger to life or property or traffic—in which cases the owner of the land may take immediate action to fell such tree and report the fact to the Tree Officer within twenty-four hours of such felling.

1.4 The Tree Officer can grant / refuse permission for felling under Section 9(2). Pertinently, under Section 9(3) *proviso,* the Tree Officer cannot give permission for felling from the same area on more than two occasions during the same year subject to a maximum area of 1 hectare.

1.5 Section 11 mandates the land owners to preserve and protect trees on their land which are planted in compliance of directions issued under Section 10 and the Tree Officer can issue directions for protection of trees if adequate measures are not taken by the owner.

1.6 Section 29 of the Act empowers the GNCTD to exempt any area or any species of trees from all or any of the provisions of the Act, in public interest.

1.7 The GNCTD is also empowered to prohibit felling altogether of a class of trees for a specified period under Section 30 of the Act, and

1.8 Under Section 33 of the Act, the GNCTD can give directions to the Tree Officer, Tree Authority and officers subordinate to the Tree Authority regarding discharge of their functions for carrying out the purposes of the Act.

2. DETAILS TO BE PROVIDED BY THE APPLICANT FOR TREE ELLING/TRANSPLANTATION.

2.1. If an applicant, for any other reason, finds that felling/transplantation oftree(s) is necessary, he shall have to mandatorily provide the following details in the application to be submitted to the Department of Forest and Wildlife, GNCTD:

i. Duly filled up form in DPTA e-Forest portal in all respect.

ii. Self-attested copy of the registered document of ownership and/or copy of municipal or revenue record clearly showing details of ownership of the property or *jamabandi* of land record issued by the Tehsildar.

iii. NOC from the land owner(s), if applicant is not the land owner.

iv. Enumeration list (species and girth) of trees of the entire area (duly signed by the applicant *or authorized agent of the applicant*) including geo-referenced photographs showing the enumeration number clearly (each tree to be given a unique number by the applicant).

v. Boundary description (duly signed by the applicant).

vi. Undertaking that all other permissions/ approvals, as may be required, have been obtained or are being obtained.

vii. Details (KML file, area, ownership proof including khasra details) of the site where the trees are proposed to be transplanted and compensatory plantation proposed to be carried out, if applicable.

viii. Undertaking to be submitted by the Applicant, clearly stating that the said parcel of land identified for compensatory plantation is not allotted for any other purpose including for compensatory plantation / afforestation / transplantation for any other project, if applicable.

ix. Tree Preservation Plan in the prescribed format as per Tree Transplantation Policy, 2020.

x. In case the application is related to a development project, following additional documents (in addition to above mentioned documents (sl number i. to ix.)) shall also be submitted-

a) Details of other feasible options explored before finalizing the project, if any, to ensure minimizing the number of trees affected.

b) A copy of the detailed architectural drawings (in .dwg drawing file format showing the khasra numbers) which includes overlay of trees on to-the-scale layout and alignment of the proposed project.

3. COMPENSATORY PLANTATION & TRANSPLANTATION

3.1 Section 10 of the Act mandates certain number of trees to be planted for each tree felled/transplanted (to be called Compensatory Plantation). As a standard for each tree felled/ transplanted, the applicant shall plant such number of tree saplings of suitable species as specified by the state government from time to time.

3.2 If number of trees to be felled / transplanted by the applicant are less than or equal to twenty-five, compensatory plantation/transplantation will be carried out, if possible, by the applicant itself: otherwise, for reasons recorded in writing by the concerned Tree Officer, by the Forest Department for which required funds will be provided by the applicant for carrying out such plantation/transplantation and its maintenance for sevenyears.

3.3 For rest of the cases (for felling/ transplantation of more than twenty-five trees), the applicant shall provide land for compensatory plantation. Applicant shall also bear the cost of raising compensatory plantation and its maintenance for seven years, over such land, as fixed by the Department of Forests and Wildlife, GNCTD from time to time.

3.4 The Tree Officer will carry out required due diligence about the land offered for compensatory plantation or transplantation. It is clarified that enrichment/gap-planting in existing plantations will also be considered towards compensatory plantation.

3.5 In case the applicant itself carries out the plantation, then an amount in form of security deposit as decided by the Department of Forests and Wildlife, will be deposited by the applicant with the Tree Officer. The amount will be refunded (after seven years) by the Tree Officer to the applicant, if plantation (number of trees as required to be planted) is fully developed as trees in seven years.

3.6 In case the applicant has to raise compensatory plantation but fails to raise successful compensatory plantation, then the security deposit shall be forfeited by the Tree Officer and the Compensatory Plantation on the same proposed site shall be carried out by the Forest Department. Further, the Applicant shall be mandated to deposit extra site improvement expenses, which may be required to make the site suitable for plantation, as calculated by the Forest Department/Tree Officer concerned.

3.7 For transplantation of Trees, Transplantation Policy 2020 as amended from time to time shall be followed.

3.8 An exercise shall be done by the Applicant to ensure that the compensatory plantation / transplantation is duly undertaken in the area or in the vicinity of the site itself from where trees are felled, to the extent possible.

3.9 Each tree planted or transplanted will be geo-tagged and the details of the plantation carried out will be uploaded on the portal of the Forest Department. Yearly progress of plantation (geo-referenced photographs with date) will be uploaded against concerned tree felling permission by the agency carrying out the plantation.

4. CONSIDERATION OF THE APPLICATION UNDER SECTION 9(1) FOR FELLING/TRANSPLANTATION UNDER THE DPTA, 1994 BY THE TREE OFFICER

4.1 The basic function and duty of the Tree Officers is to preserve the trees and, therefore, only in case of necessity and for good reasons the permission for felling/transplantation of trees shall be granted.

4.2 A copy of the application for felling/transplantationof the trees along with land details will be mandatorily sent by the Tree Officer to MCD or NDMC or DDA or Cantonment Board under whose jurisdiction the said area falls, for their information. These authorities may submit their observations/ objections, if any to the CEC within two weeks in case the number of trees to be felled/transplanted are 50 or more, otherwise to the Tree Officer, from the date of receipt of the application.

4.3 The Tree Officer after visiting the site will decide whether the felling or trans-location of the trees as sought by the applicant is necessary. The Tree Officersshall makean effort to save as many trees as possible. The Tree Officers shall consider whether; by pruning or by some other methods, the trees can be saved from felling/transplantation.

4.4 The approved layout plan of the project area submitted by the Applicant on the DPTA e-Forest portal including the building plan, road and other structures, etc. shall be demarcated on the ground (on the scale of 1:1) by the Applicant. The enumeration list of trees (each tree will be given a unique number) submitted by the applicant, for the project area which includes trees to be saved, transplanted and felled, on the DPTA e-Forest portal shall be jointly verified and authenticated on the ground, by the Tree Officer and the Applicant.

4.5 The Tree Officer shall carefully examine and inspect all the trees in the project area to arrive at the bare minimum number of trees to be felled/transplanted. After this exercise, the Tree Officer shall finalize the list of trees to be saved, transplanted and felled.

4.6 Once the trees list is authenticated and finalized for felling/transplantation, the Applicant will 'mark' the trees with paint in the form of two rings around the concerned tree i.e. 'Yellow' for trees to be transplanted and 'Red' for trees to be felled.

4.7 A Speaking Order to be issued by the Tree Officer for felling/ transplantation under the Act. The permission for felling/ transplantation will be valid for a period of two years, which may be extended if proper justification is furnished by the applicant. On expiry of the validity of the permission, the Applicant shall apply afresh for the permission.

4.8 The proviso to sub-Section (3) of Section 9 reads thus:

> *"9. Procedure for obtaining permission to fell, cut, remove or dispose of a tree -*
>
> *(3). ………. Provided that no permission shall be granted to any person from the same area on more than two occasions during the same year subject to a maximum area of one hectare at a time."*

4.9 If the Tree Officer finds that a second application is made in the same year in respect of the same area for the felling of trees and the total number of trees covered by the first and second applications exceeds 49, even

if the permission sought by the second application is in respect of fewer than 50 trees, the permission granted on the second application shall not be acted upon unless the same is vetted and approved by the by the Central Empowered Committee (for short, "the CEC").

4.10 The Tree Officer shall not entertain any application under Section 9 of the Act unless there is a declaration supported by documents about the number of applications made under Section 9 of the Act in that particular year (Calendar Year) regarding the same property.

4.11 The sub-Section (4) of Section 9 of the Act, has been stayed by the Hon'ble Supreme Court by the order dated 19/12/2024,in the Writ Petition(s) (Civil) No 4677/1985 M.C. Mehta vs UoI, and therefore shall not be applicable for applications submitted for the tree felling/transplantation.

5 **ADDITIONALCONDITIONS FOR FELLING/ TRANSPLANTATION OF 50 OR MORE TREES**

5.1 Whenever a Tree Officer grants permission for the felling/transplantation of 50 or more trees in accordance with Section 8 read with Section 9 of the Act, the said permission shall not be acted upon unless the same is approved by the CEC.

5.2 Whenever the Tree Officer under the Act grants permission for the felling/ transplantation of 50 or more trees, immediately after granting such permission, the Tree Officer shall forward the entire record of the application along with a copy of the permission to the CEC. Upon receipt of the documents, it will be open for the CEC to call upon the concerned Tree Officer to furnish additional information and additional documents, as required.

5.3 The CEC will carefully consider the applications and all relevant aspects and will decide whether the permission deserves to be granted or whether any modification is required to the permission or the terms and conditions imposed under the permission.The CEC, after examining the entire case, may either allow or reject the application, may allow the application partly and/or modify the terms and conditions on which permission is proposed to be granted by the Tree Officer.

5.4 While granting permission to fell/ transplant 50 or more trees, unless the case is exceptional, actual tree-cutting work shall not be undertaken unless compliance is made with the requirement of planting trees by way of compensatory afforestation. After receiving orders of the CEC, the Tree officers shall amend the orders passed by them to give effect to the order of the CEC.

5.5 On the requisition being made by the CEC, the project proponent or the applicant who makes an application under Section 9 of the Act shall be bound to appear before the CEC.

5.6 All the directions of the Hon'ble Supreme Court in the Judgement dated 19/12/2024 in the Writ Petition(s) (Civil) No 4677/1985 M.C. Mehta vs UoI will be followed bythe Tree Officer on case-to-casebasis. These directions/SOPs are applicable w.e.f. 19.12.2024 and will also apply to all the pending applications under Section 8, read with Section 9 of the Act.

5.7 These SOPs have also been concurred by the CEC for felling/ transplanting of 50 or more trees.

5.8 In case of any illicit felling of 50 or more trees, the CEC will be informed by the Tree Officer within twenty-four hours of receipt of such information by the Tree Officer.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi

A.K. SINGH, Principal Secy. (Environment & Forests)

Annexure-1

Model indicative Permission Order under DPTA, 1994 for felling / transplantation of trees

(to be modified by the Forest Department as per the requirement)

Subject: Permission for Transplantation of Trees

WHEREAS, application no. ….. …. on DPTA e-Forest portal has been received from …………. regarding transplantation of……(number of trees)…..trees and felling of …………number of trees for …………..(purpose) under Section 9 of Delhi Preservation of Trees 1994 Act, 1994 (hereinafter referred as 'the Act').

AND WHEREAS, list of all trees to be transplanted and felled with details of name of the trees, girth measurement, geo-coordinates along with photographs was received in this office and found to be in order.

AND WHEREAS, a Tree Preservation Plan made in accordance with the Tree Transplantation Policy 2020 highlighting the steps that would be undertaken to ensure survival of transplanted trees was submitted by the applicant.

AND WHEREAS after the approval of Central Empowered Committee (hereinafter referred as 'CEC') dated…………, the Government of NCT Delhi vide order No………..dated……., has exempted condition of Sub section (3) of Section 9 of DPTA under Section 29 of the Act (If applicable).

AND WHEREAS, the details of the project were drawn on the site by the Applicant and inspection of the project site was carried out and the list of trees to be felled and transplanted were further refined so that more trees can be saved.

AND WHEREAS, all the trees to be affected by the project were found to be numbered and the submitted trees list was finalized after due diligence.

AND WHEREAS, Compensatory Plantation site proposed at -----(name of the site) ------ was inspected by the field staff and was found suitable and sufficient to plant …………. number of tree saplings of ----(list of species) OR

AND WHEREAS, Compensatory Plantation site proposed at -----(name of the site) ------ has been provided by the Forest Department/………..Department (in case of deemed forest), and was found suitable and sufficient to

plant …………. number of tree saplings of ----(list of species). Further UA has deposited the required amount of Rs-------for such Compensatory Plantation.

AND WHEREAS, Transplantation site proposed at -----(name of the site)------ was inspected and was found suitable for transplantation of …………number of trees.

AND WHEREAS, ----(name of UA)-----has deposited a security amount of Rs. ------- with Department of Forests & Wildlife, GNCTD for transplantation of ………….. trees.

AND WHEREAS approval of the CEC (as and where applicable) has been received vide letter no……….. dated………….

NOW THEREFORE, the permission is granted for transplantation of ----Nos---- of trees and felling of -----Nos---- of trees subject to fulfilment of terms & conditions Annexed.

DETAILS OF TREES TO BE TRANSPLANTED AND FELLED

S.N.	Species of Trees	S.No. of tree as per application	Location of Trees (with geo coordinates)	Reason for Transplantation / felling
1.				
2.				

Annexure-2

MODEL INDICATIVE TERMS AND CONDITIONS FOR TRANSPLANTATION/FELLING

(To be modified by the Forest Department as per the requirement from time to time.Conditions shall be as per the Act and the approved SOPs)

INDICATIVE LIST OF SPECIFIC AND GENERAL CONDITIONS TO BE STIPULATED WHILE GRANTING PERMISSION UNDER THE DPTA, 1994 FOR FELLING / TRANSPLANTING

Specific Conditions

1. The compensatory plantation of ---- number of trees permitted for felling/ transplantation should be completed by the Applicant at the site_______________for which refundable security deposit of amount ______________will be deposited by the Applicant with the Forest Department. If the applicant carries out compensatory plantation successfully and maintains the plantation for 07 (seven) years, the Security Deposit amount will be refunded afterwards. If the success percentage of the plantation is less than 100%, theamount of security deposit proportionate to the percentage of failure of plantation will be forfeited and

the Forest Department will raise the Compensatory Plantation equal to the failed number of saplings at the same site or at another site as may be decided by the Tree Officer. No interest will be paid on the amount of the Security Deposit refunded to the applicant. However, the actual amount required for such plantation and its seven-year maintenance etc at the time of the refund will be deducted.

2. If the Applicant fails to carry out the plantation at the earmarked site within a period as specified by the tree officer, the plantation and its maintenance will be carried out by the Forest Department at the same site at the cost of the applicant. The applicant will hand over the site to the Forest Department along with the required funds as calculated by the Forest Department.

General Conditions:

i. The permission is valid for a period of two years, which is extendable, on valid reasons, for one more year.

ii. If Applicant is doing Compensatory Plantation, a detailed plantation schedule shall have to be submitted by the applicant in compliance with section 12 of the Act.

iii. All related directions issued, or may be issued by any Hon'ble Court and/or any competent authority must be complied with by the Applicant.

iv. The applicant will intimate to the office of Tree Officer at least 3 days in advance before commencing the felling/transplantation.

v. Permission to fell/ transplant the trees is granted at Applicant's own risk and without prejudice to the claim(s) of any person/s who may be having any right(s) over the land or the trees.

vi. The translocated trees should be appropriately spaced.

vii. All the conditions specified in transplantation policy, 2020 must be complied by the applicant.

viii. Felling/ Transplantation of any tree which has a nest of a bird, squirrel or snake pit shall not be carried out till the nest/pit is abandoned.

ix. Lops and Tops arising out of pruning may be sent to the nearest public cremation ground and a copy of the receipt may be sent to the Tree Officer.

x. The Applicant must ensure that the protected trees are not disturbed during the construction / development of the project.

xi. The applicant will take adequate precautions and be fully responsible for any accident that might happen during felling / transplantation of trees.

xii. For felling of trees from the project land, if any compensation is to be paid to the land-owning agency, the same shall be borne and settled by the project implementing Agency.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.17 10:45:58 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22052025-263286
SG-DL-E-22052025-263286

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]	दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 58
No. 155]	DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947	[N. C. T. D. No. 58

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 मई, 2025

फा0 सं0 8(204)/वन/मुख्यालय/पीएलजी–II/डीपीटीए/2022–23/1424.—दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में, एतद्द्वारा, "दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत वृक्षों की देखभाल एवं छंटाई हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)" अधिसूचित करती है।

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों की संवर्धनात्मक **देखभाल एवं छंटाई हेतु मानक संचालन प्रक्रिया।**

दिल्ली विश्व के सबसे हरित राजधानी शहरों में से एक है, जिसमें बड़े क्षेत्र में मार्ग वृक्षारोपण, रिज फॉरेस्ट, जैव विविधता पार्क, बाढ़ समभूमि में वृक्षारोपण, शहर के आवासीय क्षेत्रों में विशाल पार्क, नगर वन आदि हैं। सामुदायिक भागीदारी सहित केंद्र और राज्य सरकारों की हरित एजेंसियों के निष्ठावान और निरंतर प्रयासों के कारण यह हरित आवरण लगातार बढ़ रहा है।

दिल्ली के विकास पथ में, हरित क्षेत्र का विकास हमेशा प्राथमिकता रहा है और इस संबंध में वास्तविक रूप से प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप शहर में हरित क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। हरित क्षेत्रों में इस वृद्धि के साथ, वृक्षों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक कुशल और पूर्णत: सुरक्षित प्रणाली की निरंतर और सतत आवश्यकता है, विशेष रूप से

सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़कों, पार्कों, आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थागत क्षेत्रों, विरासत भवनों आदि में, जहाँ नियमित रूप से बड़ी संख्या में लोग आते–जाते हैं/रहते हैं।

वृक्षों की छंटाई एक बागवानी और वन– संवर्धन पद्धति है, जिसमें वृक्ष के जीवित या मृत भागों अथवा शाखाओं को काटना या हटाना शामिल है, ताकि वांछित भागों की वृद्धि की शक्ति में सुधार हो, वृक्ष का आकार बेहतर हो तथा/या मृत/टूटी शाखाओं के गिरने के जोखिम को कम किया जा सके, इस प्रकार वृक्ष को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वोत्तम वन– संवर्धन पद्धतियों का पालन करके वृक्षों के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके।

वृक्षों की संवर्धनात्मक देखभाल एवं छंटाई न केवल उनके विकास, आकार और विस्तार हेतु महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके अनियंत्रित और अनियमित प्रसार के कारण जनता के लिए खतरे तथा संकट को कम करने के लिए भी अनिवार्य है। साथ ही, यह आवश्यक गतिविधि क्षेत्र के सौंदर्य तथा जीवन और संपत्ति की सुरक्षा एवं बचाव को बढ़ाती है।

निम्नलिखित कारणों से वृक्षों की संवर्धनात्मक देखभाल एवं छंटाई भी आवश्यक है–

(क) घातक दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क, रेलवे लाइन, मेट्रो, आरआरटीएस, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, ट्रैफिक सिगन्ल, संकेतक, मार्गाधिकार आदि के किनारे अवांछनीय और खतरनाक शाखाओं को हटाना, जो मोटर चालकों, चालकों, साइकिल चालकों, पैदल यात्रियों आदि की दृष्टि रेखा में बाधा उत्पन्न करती हैं।

(ख) विद्युत आग और अन्य खतरों से बचने के लिए ऊपरी विद्युत तारों/केबलों से स्वीकार्य दूरी बनाए रखने के लिए वृक्षों की नियमित छंटाई की जानी चाहिए।

(ग) इमारतों, घरों, संपत्तियों आदि को वृक्षों की मृत, लटकी हुई तथा अलग हुई टहनियों/शाखाओं से होने वाले नुकसान से बचाने हेतु वृक्षों की संवर्धनात्मक देखभाल एवं छंटाई आवश्यक है।

(घ) स्ट्रीट लाइट/हाई मास्ट लाइट को अवरुद्ध करने वाले वृक्षों की शाखाओं को हटाना, जो आसपास रोशनी बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा लोगों की सुरक्षा के लिए भी एक अनिवार्य घटक है।

(ड.) कीटों तथा बीमारियों के आक्रमण की स्थिति में, कीटों तथा बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए मृत या कीट–वाहक टहनियों और शाखाओं को हटाना आवश्यक हो जाता है;

(च) वृक्ष के आधार से निकलने वाली कमजोर शाखाओं और अवांछित टहनियों को हटाने से वृक्ष के स्वस्थ भागों पर नई शाखाओं और फलों की वृद्धि होती है जो पक्षियों, जानवरों के लिए आरक्षित भोजन के रूप में कार्य करते हैं;

(छ) संवर्धनात्मक देखभाल एवं छंटाई से सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में आता है, जो विटामिन डी का एक स्रोत है। स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए वृक्ष के नीचे छोटी झाड़ियों और घासों की वृद्धि के लिए भी सूर्य का प्रकाश आवश्यक है।

(ज) जब वृक्ष कमज़ोर हो जाता है तथा तेज़ हवा की स्थिति का सामना नहीं कर पाता है, तो उसकी देखभाल एवं छंटाई करना ज़रूरी हो जाता है। सघन शाखाओं की छंटाई करने से वृक्ष का वज़न कम हो जाता है। यह विशेष रूप से तब ज़रूरी होता है जब वृक्षों की जड़ों की जकड़ मज़बूत न हों या जब किसी कारण से वृक्ष की जड़ प्रणाली में कोई अवरोध हो या कमज़ोर हो।

लोगों की सुरक्षा एवं बचाव की परम आवश्यकता को देखते हुए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान, आशय और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विशिष्ट मामलों में वृक्षों की संवर्धनात्मक देखभाल एवं छंटाई हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 के अंतर्गत निहित शक्तियों द्वारा निर्देश जारी करना समीचीन समझती है।

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 के अंतर्गत वृक्ष (वृक्षों) की संवर्धनात्मक देखभाल एवं छंटाई के कार्य हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देशों को मानक संचालन प्रक्रिया, 2025 " कहा जाएगा –

1. यदि कोई व्यक्ति/नागरिक एजेंसी/सरकारी एजेंसी/आरडब्लूए/कंपनी/संगठन आदि पाता है कि किसी वृक्ष (वृक्षों) की टहनियाँ/शाखाएँ/कलियां/जड़ें, जिनकी परिधि 15.7 से0मी0 या उससे अधिक है, को ऊपर बताई गई स्थितियों में काटने की आवश्यकता है, तो आवेदक इसकी छटाई के लिए ई–फॉरेस्ट पोर्टल (https://www.dpta.eforest.delhi.gov.in) पर उनकी भू–संदर्भित तस्वीरों (प्रत्येक वृक्ष के लिए अलग से) के साथ संबंधित वृक्ष अधिकारी को अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अनुमति या अन्यथा की सूचना वृक्ष अधिकारी द्वारा आवेदक को उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर दी जाएगी।

2. जहां छंटाई की जाने वाली शाखाएं 15.7 सेमी से कम परिधि की हैं, वहां सामान्य संवर्धनात्मक देखभाल और हल्की छंटाई हेतु वृक्ष अधिकारी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी छंटाई की तस्वीरें ई–फ़ॉरेस्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी।

3. यदि वह वृक्ष जिसकी छंटाई अपेक्षित है, एमसीडी/एनडीएमसी/ डीडीए/पीडब्ल्यूडी /सीपीडब्ल्यूडी/एएसआई/दिल्ली कैंट आदि के सार्वजनिक स्थानों जैसे– सड़क, फुटपाथ, गली, पार्क आदि में या किसी सरकारी एजेंसी के भवन/परिसर में लगा हुआ है और जीवन, संपत्ति या यातायात के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसी एजेंसियां परिधि पर ध्यान दिए बिना, अपने वरिष्ठ बागवानी अधिकारी के पर्यवेक्षण में स्वयं संवर्धनात्मक देखभाल/हल्की छंटाई के कार्य को कर सकती हैं तथा डीपीटीए 1994 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे वृक्ष (वृक्षों) की भू–संदर्भित पूर्व और पश्चात् की तस्वीरों/वीडियो के साथ वृक्ष अधिकारी को सूचित कर सकती हैं।

सामान्य अनुदेश :

i. वृक्षों की संवर्धनात्मक देखभाल एवं छंटाई का कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार भू–स्वामी/भू–स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा किया जाना है।

ii. यदि आवेदक भू–स्वामी नहीं है तो भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए।

iii. वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सीधे तौर पर वृक्षों की संवर्धनात्मक देखभाल या छंटाई नहीं करवाता है, बल्कि उचित निरीक्षण के पश्चात् ही भू–स्वामी/भू–स्वामित्व वाली एजेंसी को वृक्षों की छंटाई की अनुमति देता है।

iv. वृक्ष अधिकारी केवल भू–स्वामी/भू–स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के ई–फ़ॉरेस्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार करेंगे और किसी अन्य रूप में जमा आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

v. वृक्ष (वृक्षों) की किसी भी तरह की छंटाई वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए ताकि इससे वृक्ष (वृक्षों) को नुकसान न पहुंचे। छंटाई का काम बागवानी विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण में भू–स्वामित्व वाली एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।

ये निर्देश इस संबंध में जारी सभी पूर्ववर्ती दिशा–निर्देशों का अधिक्रमण करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए.के. सिंह, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

अनुलग्नक–I

क. वृक्ष अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र:

आज की तिथि में चार (4) उप वन संरक्षक (डीसीएफ) हैं, जिन्हें वृक्ष अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो वृक्षों की छंटाई के लिए ई–फ़ॉरेस्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करते हैं तथा मामले की योग्यता के अनुसार उचित निरीक्षण के पश्चात् अनुमति प्रदान करते हैं। इस कार्यालय की दिनांक 20.01.2021 की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र नीचे दी गई तालिका में द'र्शाए गए हैं।

वृक्ष अधिकारी/डीसीएफ का कार्यालय	कार्यालय का पता	राजस्व जिलों का नाम
उप वन संरक्षक, **मध्य वन प्रभाग** ईमेल–dcfcentral-gnctd@delhi.gov.in	कमला नेहरू रिज, दिल्ली–110007 ।	उत्तर–पूर्व पूर्व शाहदरा मध्य
उप वन संरक्षक, **उत्तरी वन प्रभाग** ईमेल – dcfnorth.gnctd@delhi.gov.in	महात्मा गांधी जलवायु परिवर्तन नियंत्रण संस्थान का परिसर, अलीपुर, बकोली, दिल्ली–110036 ।	उत्तर उत्तर–पश्चिम पश्चिम
उप वन संरक्षक, **पश्चिमी वन प्रभाग** ईमेल – dcfwest.gnctd@gov.in	मंदिर लेन, बिड़ला मंदिर, दिल्ली–110060।	दक्षिण – पश्चिम नई दिल्ली

उप वन संरक्षक, **दक्षिणी वन प्रभाग** ईमेल –dcfsouth.delhi@gov.in	शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद, नई दिल्ली–110044 ।	दक्षिण दक्षिण – पूर्व

ख. लकड़ी, अवशेष का निपटान :–

सभी अवशेषों को संस्थाओं/एजेंसियों/सरकारी विभागों द्वारा निकटतम श्मशान घाट पर भेजा जाना आवश्यक है।

DEPARTMENT OF FORESTS & WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd May, 2025

F.8(204)/FOREST/HQ/PLG.-II/DPTA/2022-23/1424.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi, in public interest, hereby, notifies "Standard Operating Procedure (SOP) for tending and pruning of trees under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994"

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR TENDING AND PRUNING OF TREES UNDER DELHI PRESERVATION OF TREES ACT, 1994.

Delhi is one of the greenest capital cities in the world with a large area under avenue plantation, ridge forest, biodiversity parks, floodplain plantation, huge parks in residential areas across the city, city forest, etc. This green cover has consistently increased due to sincere and continued efforts of greening agencies of central & state governments including community participation.

In the development path of Delhi, green area development has always been a priority and sincere efforts have been made in this regard resulting in expansion of green spaces in the city. With this growth in green spaces, there is a continuous and sustained need to have an efficient and foolproof system for scientific management of trees particularly in public spaces like roads, parks, residential/ commercial/ institutional areas, heritage buildings etc which are regularly frequented/ inhabited by a large number of people.

The pruning of trees is a horticultural and silvicultural practice, involving cutting of or removing living or dead parts or branches of a tree to improve vigour of growth of desired parts, improve shape of tree and/ or for reducing risk from falling of dead / broken branches, thus to promote scientific management of trees by following the best silvicultural practices without damaging the tree.

Tending and pruning of trees is not only important for its growth, shape, size but it is also imperative for minimising threat and danger to the public due to its uncontrolled and unregulated spread. At the same time, this essential activity enhances the aesthetics of the area and safety & security of life and property.

Tending and pruning of trees is also essential due to following reasons-

(a) Removal of undesirable and dangerous branches along the road, railway line, metro, RRTS, footpath, cycle track, traffic lights, signages, right of way etc obscuring line of sight of motorists, driver, cyclists, pedestrians etc to avoid fatal accidents.

(b) Regular pruning of trees to maintain acceptable clearance from overhead electric wires/ cables to avoid electrical fire and other hazards.

(c) Tending and pruning of trees is essential to save buildings, houses, properties etc from damage which can be caused by dead, hanging and detached twigs / branches of trees.

(d) Removing the branches of trees blocking street lights/high mast light which is necessary to maintain illumination around it and also an essential component for safety and security of people.

(e) In case of invasion of pests and diseases, removal of dead or insect-carrying twigs and branches becomes essential in order to eliminate proliferation of pests and diseases;

(f) Removal of weak branches and undesirable shoots originating from the tree base allow growth of new branches and fruits on healthy parts of the tree which act as reserve foods for birds, animals;

(g) Tending and pruning allow penetration of more sunlight, a source of vitamin D. Sunlight is also essential for the growth of small shrubs and grasses beneath a tree to promote a healthy ecosystem and add to the biodiversity.

(h) Tending and pruning becomes inevitable when a tree becomes weak and can't withstand strong wind conditions. Pruning of overcrowded branches reduces the weight of the tree. This is essential particularly when the root anchorage of the tree is not firm or when the root system is disturbed or weakened due to any reason.

In view of absolute necessity for safety and security of the people, keeping in mind the provision, intent and purpose of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, Government of National Capital Territory of Delhi considers it expedient to issue directions by the powers vested in it under Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 for tending and pruning of trees in specific cases.

The following directions shall be called as "**Standard Operating Procedure for dealing with Tending and Pruning of Tree(s) under section 33 of the *'Delhi Preservation of Trees Act, 1994'*, 2025**"-

1. If any Individual/ civic agency/ government agency/ RWA/ company/ organisation etc finds that twigs/branches/shoots/roots of any tree(s), which are having girth equal to or more than 15.7 cm, are required to be pruned in circumstances enumerated above, then applicant can apply online for the pruning of same on e-Forest portal (***https://www.dpta.eforest.delhi.gov.in***) along with their geo-referenced photographs(for each tree separately) to the concerned Tree Officer for the permission. Permission or otherwise will be communicated by tree officer to the applicant within 7 working days from the date of receipt of complete application after following due process.
2. No permission will be required from the Tree Officer, for general tending and light pruning where branches to be pruned are having girth less than 15.7cm. Photographs of such pruning will be uploaded on the e-forest portal.
3. If the tree(s) for which pruning is required is standing in public spaces like road, footpath, street, park etc of MCD/ NDMC/ DDA/ PWD/ CPWD/ASI/Delhi Cantt etc or in building/premise of any government agency and is posing danger to life, property or traffic, then such agencies can proceed for tending/light pruning themselves, irrespective of the girth, in supervision of their senior horticulture officer and inform to the Tree Officer with geo-referenced before and after photographs/ video of such tree(s) in harmony with provisions of Section 8 of the DPTA 1994.

General Instructions:

i. Tending and Pruning of Trees has to be done by the land owner/ land-owning agency as per guideline formulated by the State Government.

ii. NOC from the land owner(s), if applicant is not the land owner.

iii. The Department of Forests & Wildlife, GNCTD does not get the trees tended or pruned directly but only accords the tree pruning permission to the land - owner / land-owning agency after due inspection.

iv. The Tree Officer will accept application(s) only through e-forest portal of the Department of Forests & Wildlife, GNCTD by the land owner / land owning agency and application submitted in any other form will not be accepted.

v. Any kind of pruning of the tree(s) must be carried out in a scientific manner so that it does not damage the tree(s). Pruning must be done by the land-owning agency in the expert supervision of a Horticulturist.

These directions shall supersede all earlier guidelines / directions issued in this regard.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

A.K. SINGH, Principal Secretary (Environment & Forests)

ANNEXURE-I

A. JURISDICTION OF TREE OFFICERS:

As on date there are four (4) Deputy Conservator of Forests (DCFs), who are designated as Tree Officers, to facilitate processing of online applications on e-Forest portal for tree pruning and to accord permissions for the same, after due inspections, as per merit of the case. As per this office Notification dated 20.01.2021, their respective jurisdictions in Delhi are shown in table below.

Office of Tree Officers / DCFs	Office Address	Name of Revenue Districts
Deputy Conservator of Forests, **Central Forest**	Kamla Nehru Ridge,	North - East

Division Email - dcfcentral-gnctd@delhi.gov.in	Delhi-110007.	East Shahdara Central
Deputy Conservator of Forests, **North Forest Division** Email - dcfnorth.gnctd@delhi.gov.in	Campus of MGICCC, Alipur, Bakoli, Delhi-110036.	North North - West West
Deputy Conservator of Forests, **West Forest Division** Email - dcfwest.gnctd@gov.in	Mandir Lane, Birla Mandir, Delhi-110060.	South - West New Delhi
Deputy Conservator of Forests, **South Forest Division** Email - dcfsouth.delhi@gov.in	Shooting Range, Tughlakabad, New Delhi-110044.	South South - East

B. DISPOSAL OF TIMBER, LOPS & TOPS:-

All lops & tops are required to be sent to nearest crematorium by the institutions / agencies / govt. departments.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.22 14:33:41 +05'30'

ANNEXURE R-4

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01072025-264253
SG-DL-E-01072025-264253

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]	**दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947**	**[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 105**
No. 187]	**DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947**	**[N. C. T. D. No. 105**

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 जून 2025

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 की धारा 33 के अंतर्गत 'डीपीटीए, 1994' की धारा 8 के संबंध में वृक्ष अधिकारियों को निर्देश

फा सं.8 (277)/वन/टीसी/धारा–8(डीपीटीए)/2025–26/3177:— दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में एतद् द्वारा डीपीटीए, 1994 की धारा 8 के संबंध में वृक्ष अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश देती है।

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 की धारा 8 में निम्नलिखित बताया गया है : –

"8. वृक्षों की कटाई और निष्कासन पर प्रतिबन्ध – इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में की गई व्यवस्था के अलावाए इस समय लागू किसी अन्य कानून अथवा किसी परंपरा अथवा दस्तूर या सविंदा में किसी बात के होते हुए, कोई भी व्यक्ति वृक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना किसी भी भूमि में से चाहे वह उसके स्वामित्व में हो या उसके अधिकार में अथवा अन्यथा हो, किसी वृक्ष अथवा वनोपज को नहीं काटेगाए उसका निष्कासन नहीं करेगा या उसको नहीं बेचेगा;

बशर्ते यदि वृक्ष को तत्काल नहीं काटा गया और उससे जान माल या यातायात के लिए गंभीर खतरा पैदा होने की सम्भावना होए तो भू-स्वामी ऐसे वृक्ष को काटने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकता है और उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर संबधित वृक्ष अधिकारी को देगा।"

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 8 के उपर्युक्त परन्तुक को ध्यान में रखते हुए, सामान्य परिस्थितियों की एक सांकेतिक सूची, जिसमें डीपीटीए, 1994 की धारा 8 का परन्तुक स्पष्ट रूप से लागू होता है, वृक्ष अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए नीचे दी गई हैः

1.1. यदि किसी सड़क, पुल, अंडरपास, ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज आदि के मार्गाधिकार में वृक्ष खड़े हैं या उग रहे हैं, जिससे जीवन और संपत्ति को खतरा हो, निर्बाध यातायात में बाधा उत्पन्न हो, संरचनात्मक सुरक्षा प्रभावित हो और/या लोगों की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो, तो ऐसी भूमि का मालिक या अधिभोगी ऐसे वृक्षों को तुरंत हटाएगा/छंटाई करेगा और वृक्ष अधिकारी को सूचना देगा।

1.2. यदि कोई वृक्ष किसी नाले के मार्गाधिकार पर इस प्रकार खड़ा है या बढ़ रहा है कि पानी का बहाव बाधित हो रहा है, नाले की सफाई में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा रखरखाव/सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, तो नाला स्वामित्व वाली एजेंसी को ऐसे वृक्षों को तुरंत हटाना/छंटाई करनी होगी तथा वृक्ष अधिकारी को सूचित करना होगा।

1.3. यदि कोई वृक्ष सीवर लाइन के मार्गाधिकार में या सीवर लाइन पर इस प्रकार खड़ा है या बढ़ रहा है, जिससे सीवर का प्रवाह बाधित हो रहा है, सीवर लाइन की सफाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, सीवर लाइन को क्षति हो रही है और/या रखरखाव/सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, तो सीवर स्वामित्व वाली एजेंसी को ऐसे वृक्षों को तुरंत हटाना/छंटाई करनी होगी और वृक्ष अधिकारी को सूचित करना होगा।

1.4. यदि कोई वृक्ष किसी विरासत भवन/संरचना के परिसर में आता है या इस प्रकार बढ़ता है कि इससे उसकी संरचनात्मक सुरक्षा को खतरा हो और उसके पुनरूद्धार में बाधा उत्पन्न हो और/या अनुरक्षण/पुनरूद्धार कर्मियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो, तो स्वामी/एजेंसी ऐसे वृक्षों को तत्काल हटा/छंटाई कर सकेगा और वृक्ष अधिकारी को सूचित कर सकेगा।

1.5. यदि किसी आवासीय/कार्यालयीन/वाणिज्यिक आदि भवन के परिसर में कोई वृक्ष आता है या बढ़ता है, या भवन के बालकोनी/छाजों/दीवारों आदि में इस प्रकार से फैल जाता है, जिससे भवन/दीवार की संरचनात्मक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और/या उसके निवासियों की सुरक्षा को खतरा हो जाता है, तो भूमि स्वामित्व एजेंसी/व्यक्ति/आवासीय सोसायटियों के मामले में आरडब्लूए, स्वामित्व के संबंध में स्व–प्रमाणन के पश्चात ऐसे वृक्षों को तत्काल हटा/छंटाई कर सकेंगे और वृक्ष अधिकारी को सूचित कर सकेंगे।

1.6. यदि रेलवे ट्रैक/मेट्रो स्थापना के मार्गाधिकार में वृक्ष इस प्रकार आते हैं, जिससे सुरक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, निर्बाध यातायात बाधित होता है, संरचनात्मक सुरक्षा प्रभावित होती है और/या लोगों की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, तो भूमि –स्वामित्व वाली एजेंसी ऐसे पेड़ों को तुरंत हटा/छंटाई कर सकेगी और वृक्ष अधिकारी को सूचित कर सकेगी।

1.7. सूखे या मृत वृक्षों, अस्थिर ढंग से झुके हुए वृक्षों, तूफान या अन्य किसी स्थिति में गिरने की आशंका वाले वृक्षों के मामले में, भूमि–स्वामित्व एजेंसी/व्यक्ति ऐसे वृक्षों को तुरंत हटाने/छंटाई करने में सक्षम होंगे तथा वृक्ष अधिकारी को सूचित करेंगे।

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 8 के अनुसार, ऐसे वृक्षों की कटाई के 24 घंटे के भीतर भूमि–स्वामित्व वाली एजेंसी, व्यक्ति, आरडब्ल्यूए आदि द्वारा अपेक्षित सूचना संबंधित वृक्ष अधिकारी को दी जानी चाहिए। यह डीपीटीए ई–फॉरेस्ट पोर्टलः https://dpta.eforest.delhi.gov.in पर भू–निर्देशांक सहित वृक्ष की कम से कम तीन तरफ की अलग–अलग एक तस्वीर तथा कटाई के औचित्य के साथ, निष्पादन के पश्चात् एक अन्य तस्वीर अपलोड करने के माध्यम से किया जा सकता है। वृक्ष अधिकारी इसे अधिनियम की धारा 8 के परन्तुक के अनुसार अनुपालन के रूप में स्वीकार करेंगे। वृक्ष अधिकारी स्वतः भी भूमि–स्वामित्व वाली एजेंसी को निर्देश जारी कर सकते हैं और यदि वे निरीक्षण क्षेत्र के नियमित दौरे के दौरान किसी भी ऐसे खतरनाक वृक्ष को देखते हैं, तो वे स्वयं आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

इन मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य केवल ऊपर बताई गई परिस्थितियों में सद्भावपूर्ण कार्रवाई को सुगम बनाना है। यद्यपि, अगर बाद में यह देखा जाता है कि किसी ने इस प्रावधान का दुरुपयोग किया है, तो उस पर संबंधित वन कानूनों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

बिपुल पाठक, अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS & WILDLIFE
NOTIFICATION

Delhi, the 6th June, 2025

DIRECTIONS TO TREE OFFICERS UNDER SECTION 33 OF THE DELHI PRESERVATION OF TREES ACT (DPTA), 1994 REGARDING SECTION 8 OF THE 'DPTA, 1994'

No.F.8(277)/Forest/TC/Sec-8(DPTA)/2025-26/3177:- In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi, in public interest, hereby, gives the following directions to Tree Officers, regarding Section 8 of the 'DPTA, 1994'.

Section 8 of the Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 states the following: -

"8. ***Restrictions on felling and removal of trees.*** -Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any custom or usage or contract and except as provided in this Act or the rules made thereunder, no person shall fell or remove or dispose of any tree or forest produce in any land, whether in his ownership or occupancy or otherwise, except with the previous permission of the Tree Officer:

Provided that if the tree is not immediately felled, there would be grave danger to life or property or traffic, the owner of the land may take immediate action to fell such tree and report the fact to the Tree Officer within twenty-four hours of such felling."

In view of the above-mentioned proviso of Section 8 of the DPTA, 1994, an indicative list of general situations wherein the proviso of Section 8 of the DPTA, 1994 is unambiguously applicable, is given below for the guidance of Tree Officers:

1.1. If trees stand on or grow in the right of way of a road, bridge, underpass, over bridge, foot over bridge etc. in a manner that poses danger to life and property, obstructs free flow of traffic, affects structural safety and / or is detrimental to the safety of people, the owner or occupier of such land shall be able to remove / prune such trees immediately and inform the Tree Officer.

1.2. If tree stands on or grows on the right of way of a drain in a manner that hampers the flow of water, obstructs desilting of the drain and is detrimental to the safety of maintenance / cleaning personnel, the drain owning agency shall be able to remove / prune such trees immediately and inform the Tree Officer.

1.3. If trees stands on or grows in the right of way of a sewer line or on the sewer line itself, in a manner, that hampers the flow of sewer, obstructs desilting of the sewer line, damages the sewers line and / or is detrimental to the safety of maintenance / cleaning personnel, the sewer owning agency shall be able to remove / prune such trees immediately and inform the Tree Officer.

1.4. If tree falls within the precinct of a heritage building / structure or grows in a manner, that endangers its structural safety and hampers its restoration and / or is detrimental to the safety of maintenance / restoration personnel, the owner /agency shall be able to remove/prune such trees immediately and inform the Tree Officer.

1.5. If tree falls or grows in or on the precinct of any building residential / official / commercial etc., or extends into the Balconies / chhajas / walls etc. of the building in a manner, that endangers structural safety of the building / wall and / or threatens the safety of its inhabitants, the land owning agency / individual / RWAs in case of housing societies, after self-certification regarding ownership, shall be able to remove/prune such trees immediately and inform the Tree Officer.

1.6. If trees falls in the right of way of a Railway Track / Metro Installation in a manner, that hampers security, obstructs free flow of traffic, affect structural safety and/or is detrimental to the safety of

people, the land- owning agency shall be able to remove/prune such trees immediately and inform the Tree Officer.

1.7. In case of dried up or dead trees, trees leaning in a precarious manner, being vulnerable to fall in the event of a storm or otherwise, the land-owning agency / individual shall be able to remove / prune such tree immediately and inform the Tree Officer.

The requisite information must be reported to the concerned Tree Officer by the land-owning agency, individual, RWA etc., within 24 hours of the felling / cutting of such trees, as per Section 8 of the DPTA, 1994. This may be done by way of uploading a photograph of the tree from at least three different sides, along with geo-coordinates and the justification for felling, accompanied by another photograph after the execution, on the DPTA e-Forest Portal: https://dpta.eforest.delhi.gov.in. The Tree Officer shall accept it as compliance in accordance with proviso of Section 8 of the Act. The Tree Officer may also, suo motu, issue directions to the land-owning agency and shall take necessary action on their own if they notice any such dangerous tree during the course of inspection / routine field visits.

These SOPs are intended only to facilitate bona fide action in the circumstances enumerated above. However, if at a later stage it is found that anyone has misused this provision, he / she will be liable for action under relevant forest laws.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

BIPUL PATHAK, Addl. Chief Secy. (Environment & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.01 11:33:25 +05'30'

4130
ANNEXURE R-5

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23052026-272832
SG-DL-E-23052026-272832

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]	दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2026/वैशाख 29, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 51
No. 136]	DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2026/VAISAKHA 29, 1948	[N. C. T. D. No. 51

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 मई, 2026

फा. सं. 1(2585)/विधि0/मुख्यालय/22-23/ 2280.—दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में, एतद्द्वारा "दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्ष अपराधों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी **वृक्ष अधिकारियों को** निर्देश" अधिसूचित करती है।

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्ष संबंधी अपराधों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी **वृक्ष अधिकारियों को** निर्देश

(दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 की धारा 33 के अंतर्गत अधिसूचित)

जबकि, वृक्ष तथा मानव जीवन अविभाज्य हैं और वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसके अतिरिक्त वृक्ष किसी समाज में सतत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक हैं।

जबकि, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 राज्य सरकार को वृक्ष अधिकारियों, वृक्ष प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कार्यों के निर्वहन और अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के संबंध में सामान्य या विशेष निर्देश देने का अधिकार देती है।

इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के आशय और उद्देश्य को पूर्ण तथा उचित रूप से प्रभावी बनाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वृक्षों के संरक्षण के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निर्देश जारी करना उचित समझती है, ताकि दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अपराधों की रोकथाम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने, अपराधों की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी प्रतिक्रिया देने, वृक्ष अधिकारियों द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अपराधों और उल्लंघनों के लिए सुनवाई/कार्यवाही/जांच/समय पर अभियोजन चलाने और इससे संबंधित अन्य मामलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जा सके।

निम्नलिखित निर्देशों को "दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994; के अंतर्गत वृक्ष संबंधी अपराधों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ 2026 " कहा जाएगा:

भाग-I

I. अपराध की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र

1. किसी अपराध से संबंधित जानकारी निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है:

(i) 'ग्रीन हेल्पलाइन' पर प्राप्त कॉल

(ii) इस उद्देश्य के लिए पहले से बनाई गई एक समर्पित वेबसाइट, अर्थात् https://ghl.eforest.delhi.gov.in पर ऑनलाइन जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।

(iii) पत्रों/हस्तलिखित शिकायतों के माध्यम से ऑफलाइन रूप से प्रस्तुत की गई जानकारी।

(iv) ग्रीन दिल्ली ऐप/311 या दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किसी अन्य ऐप के माध्यम से भेजी गई जानकारी।

2. संबंधित रेंज अधिकारी/रेंज प्रभारी, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अंतर्गत प्रथम अपराध रिपोर्ट (एफओआर) दर्ज करेंगे। ऐसी सभी जानकारी तत्काल वास्तविक समय में संबंधित वन नियंत्रण कक्ष, मंडल नियंत्रण कक्ष, बीट अधिकारी और भू-स्वामी एजेंसी को भेजी जाएगी ताकि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार तत्काल कार्रवाई की जा सके:-

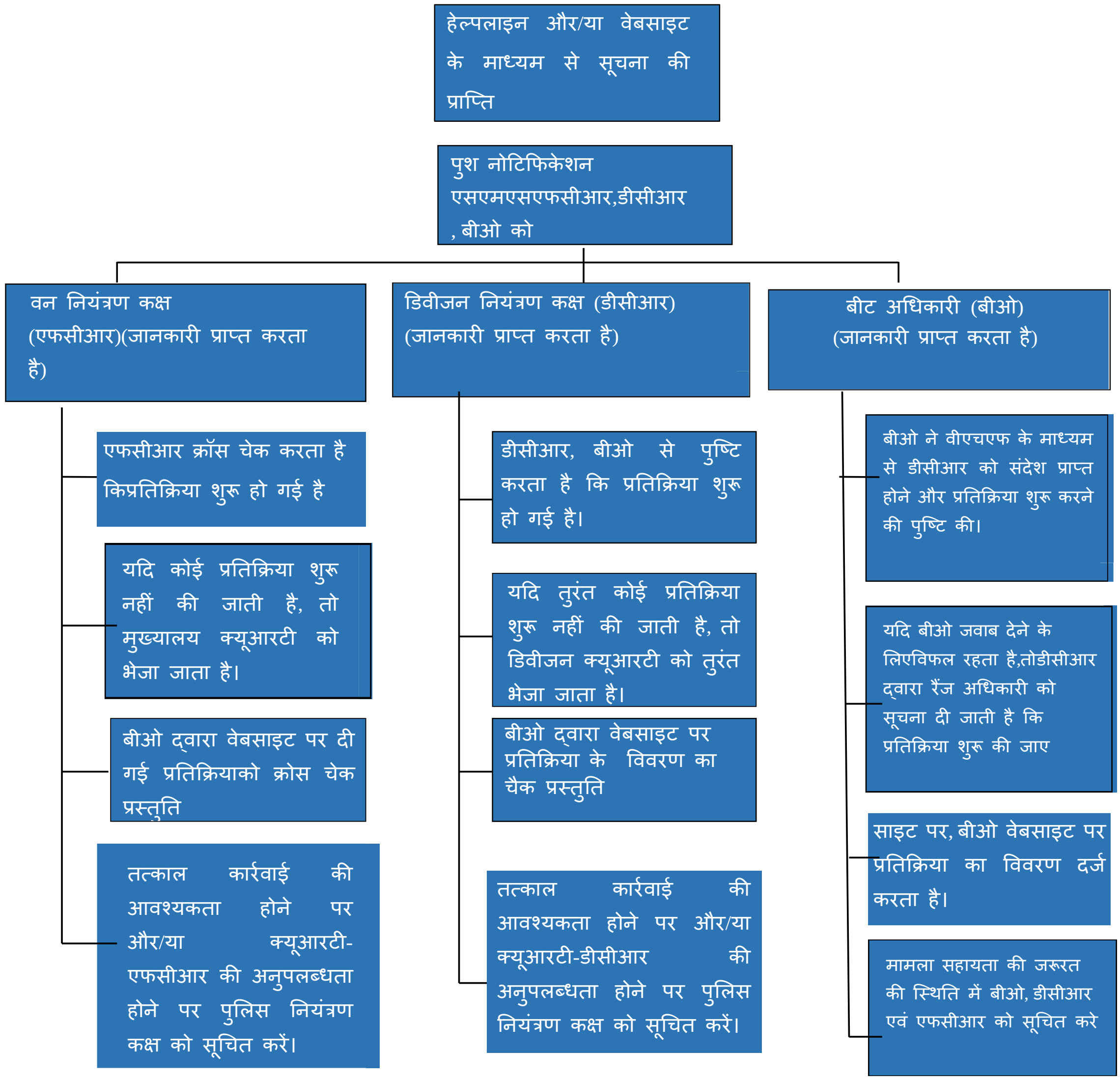

II. त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्युआरटी) द्वारा घटनास्थल पर कार्रवाई

1. त्वरित प्रतिक्रिया दल यह सुनिश्चित करेंगे कि साइट पर यथास्थिति बनी रहे औरइसके लिए वे निम्नलिखित कार्य करेंगे:

(क) अपराध को होने से रोकने और आगे अपराध होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करना।

(ख) अपराध स्थल की भू-संदर्भित तस्वीरें लें, अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्ति (व्यक्तियों) की वीडियो रिकॉर्डिंग करें, जिसमें अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार, उपकरण, नाव, वाहन, पशु या अन्य परिवहन साधन शामिल हों, साथ ही वृक्ष या उसका वह भाग भी शामिल हो जिसे काट दिया गया। जमीन पर या वृक्षके तने पर, जैसा भी मामला हो।

(ग) अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम और पता लिखित रूप में दर्ज करें।

(घ) अपराध में संलिप्त होने के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति को, और यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम या पता देने से इनकार करता है या ऐसा नाम या पता देता है जिसके बारे में संबंधित अधिकारी को यह मानने

का कारण है कि वह झूठा है या यदि उसे यह मानने का कारण है कि वह व्यक्ति फरार हो जाएगा, तो आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित रेंज अधिकारी के पास ले जाया जाए।

(ङ) अपराध स्थल को तब तक घेर कर रखें जब तक कि बीट ऑफिसर / डिप्टी रेंज ऑफिसर / रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर न आ जाएं।

2. त्वरित प्रतिक्रिया दलघटनास्थल से तभी रवाना होगा जब संबंधित बीट अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जाएगा और उपरोक्त प्रविष्टि II (1) के अनुसार एकत्रित सभी आवश्यक जानकारी सौंप देगा।

III. घटनास्थल पर गश्त अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई

1. निवारक उपाय

अपराध होने की आशंका होने पर संबंधित बीट अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:

क) स्थलपरमौजूदसभीवृक्षोंकीभू-संदर्भित तस्वीरें और भू-निर्देशांक लें।

ख) वृक्षों के पास खुदाई/उत्खनन के कारण अपराध होने की आशंका होने पर, वृक्षों की दृश्य स्थिति में गिरावट आने पर, निर्माण क्षेत्र में अवरोध लगाने से वृक्षों तक सीधी दृष्टि बाधित होने पर, मिट्टी के कटाव आदि के कारण अपराध होने की आशंका होने पर, सार्वजनिक भूमि स्वामी एजेंसी को उनके संबंधित नियंत्रण कक्ष नंबरों पर और संबंधित प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करें, और निजी भूमि स्वामी के मामले में संबंधित स्वामी/अधिभोगी को सूचित करें। साथ ही, उपरोक्त सूचना की एक प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करें।

ग) जहां कहीं भी दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 8 के उल्लंघन और/या ऐसे उल्लंघन की तैयारी की उचित आशंका हो, वहां संबंधित बीट अधिकारी/वन रक्षक, वृक्ष अधिकारी के निर्देश पर या स्वयं वृक्ष अधिकारी द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 20 के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को लिखित निषेधाज्ञा जारी की जाएगी और उक्त आदेश को संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा।संबंधित भू-स्वामी एजेंसी और अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई अपराध न हो और स्थल पर यथास्थिति बनी रहे।

घ) वृक्ष अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जारी किया गया निषेधाज्ञा आदेश या उसकी एक प्रति घटनास्थल पर किसी प्रमुख स्थान पर या ऐसे अन्य तरीके से लगाई जाए जैसा वृक्ष अधिकारी उचित समझे।

2. **अपराध की कार्यवाही में हस्तक्षेप**

(i) जिन मामलों में अपराध आंशिक रूप से संपन्न हो चुका है और/या जारी है, संबंधित वन अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:

क) अपराध को होने से रोकने और आगे अपराध होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करना।

ख) अपराध करने के संदिग्ध व्यक्ति / व्यक्तियों की भौगोलिक संदर्भ वाली तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग लें, जिसमें उक्त अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार, उपकरण, कोई भी नाव, वाहन, जानवर या अन्य परिवहन साधन शामिल हों, साथ ही क्षतिग्रस्त और/या जमीन से अलग हुए वृक्ष या उसके हिस्से की भी, जैसा भी मामला हो।

ग) अपराध करने के संदिग्ध व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम और पता लिखित रूप में दर्ज करें और उनकी पहचान और पते के प्रमाण की एक प्रति लें।

घ) अपराध में संलिप्त होने के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लें, और यदि ऐसा व्यक्ति

अपना नाम या पता देने से इनकार करता है या ऐसा नाम या पता देता है जिसके बारे में संबंधित अधिकारी को यह मानने का कारण है कि वह झूठा है या यदि उसे यह मानने का कारण है कि वह व्यक्ति भाग जाएगा, तो आगे की कार्रवाई के लिए घटनास्थल पर पहुंचे रेंज अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करें।

ङ) जांच पूरी होने तक अपराध स्थल को घेर कर रखें।

च) सार्वजनिक भू-स्वामी एजेंसी को उनके संबंधित नियंत्रण कक्ष संख्या(ओं) पर और संबंधित प्रभारी अधिकारी(यों) को लिखित रूप में सूचित करें, और निजी भूमि स्वामी के मामले में– संबंधितअधिकारी(यों) को सूचित करें। संबंधित स्वामी / किरायेदार को मौखिक और लिखित रूप में, किए गए अपराध की स्पष्ट रूप से पहचान करते हुए सूचित करें।

छ) स्थानीय पुलिस स्टेशन को लिखित रूप में सूचित करें और किए गए अपराधों का स्पष्ट विवरण दें।

ज) संबंधित वृक्ष अधिकारी से अनुरोध है कि वे उक्त अपराध के लिए प्रयुक्त औजारों, उपकरणों, नावों, वाहनों, जानवरों या अन्य परिवहन साधनों को जब्त कर लें, साथ ही उस वृक्ष या उसके हिस्से को भी जब्त कर लें, जिसे जमीन से या तने से अलग कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो।

झ) जब्त की गई वस्तुओं और सामग्रियों को वृक्ष अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सुरक्षित रूप से ले जाएं।

(ii) जहां कहीं भी अपराध होने की आशंका हो, वहां वृक्ष अधिकारी दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 20 के साथ धारा 31 (घ) के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति / व्यक्तियों को लिखित निषेधाज्ञा जारी करेगा और उक्त आदेश को संबंधित भूमि-स्वामित्व एजेंसी और अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ भेजेगा कि आगे कोई अपराध न हो और घटनास्थल पर यथास्थिति बनी रहे। वृक्ष अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसकी एक प्रति अपराध से संबंधित व्यक्ति के ज्ञात पते पर किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाई जाए, जो कि प्रभारी वन अधिकारी को अंतिम बार दिया गया था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत दिया गया पता भी शामिल है, या ऐसे किसी अन्य तरीके से दी जाए जैसा वृक्ष अधिकारी उचित समझे, और ऐसी तामील पर्याप्त तामील मानी जाएगी।

(iii) जहां कहीं भी जारी किए गए निषेधाज्ञा का उल्लंघन होता है, वहां वृक्ष अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154) के अंतर्गत संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा, ताकि कानून के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

(iv) वृक्ष अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 11(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वृक्षों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, जहां आवश्यक हो, तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से किया जाए।

(v) उपर्युक्त में किसी भी बात के निहित होते हुए,संबंधित वन कर्मी या वृक्ष अधिकारी, जैसा भी मामला हो, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 तथा इन मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए जहां पुलिस की सहायता की आवश्यकता हो, वहां संबंधित पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी से सहायता मांगेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र आता

हो। संबंधित वन कर्मी या वृक्ष अधिकारी संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करेगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2022 को अवमानना मामले (सिविल) संख्या 220/2022 नई दिल्ली नेचर सोसाइटी बनाम श्री राजेश बंसल और अन्यमें पारित आदेश में निर्देशों की शर्तों के अनुसार सहायता मांगी जा रही है, जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जब भी वृक्ष अधिकारी या वन रक्षक द्वारा पुलिस सहायता मांगी जाए, तो संबंधित थाना प्रभारी कम से कम दो पुलिस अधिकारियों को तैनात करेगा ताकि उक्त वन कार्मिकों के जीवन और सुरक्षा को कोई खतरा न हो। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया गया कि वृक्ष अधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोध किए जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने पर विधिवत विचार किया जाएगा और उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

3. **विवाद की स्थिति में वृक्ष अधिकारियों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में समाधान किया जाएगा।**

जब भी कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तथा विभिन्न वन प्रभागों के बीच क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के निर्धारण में विवाद उत्पन्न होता है, तो वन संरक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बशर्ते कि प्रथम दृष्ट्या प्रतिक्रिया देने वाले वन कर्मियों द्वारा उपरोक्त भाग-Iमें निर्धारित कार्रवाई में कोई विलंब नहीं किया जाएगा।

भाग-II

वृक्ष अधिकारी के समक्ष कार्यवाही

4. **जाँच करना**

सभी अपराध (अपराधों) तथा कथित अपराध (अपराधों) के मामलों में, संबंधित वृक्ष अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:

क) संबंधित वनकर्मी /बीट अधिकारी को घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने का निर्देश दें, जिसमें घटनास्थल के अंदर तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी शामिल हों, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। अपराध की सूचना मिलने पर, स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्षदर्शी जानकारी जुटाएं तथा यदि कोई प्रत्यक्षदर्शी हों तो उनके संपर्क विवरण और बयान दर्ज करें, तथा अपराध के संबंध में साक्ष्य जुटाने के लिए आवश्यक सभी ऐसे उपाय करें।

ख) अपराध (अपराधों)को करने वाले संदिग्ध व्यक्ति(व्यक्तिओं)/निजी संस्था/संगठन (विभगाध्यक्ष/ अधिकारी/ इकाई, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष या संगठन के अन्य अधिकारी) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 31(घ) के अंतर्गत जांच करने के लिए निर्धारित तिथि और समय पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए 'नोटिस' जारी किया जाए।

ग) शिकायतकर्ता/ सूचनादाता को सुनवाई की तिथि और/या शुरू की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करते हुए सूचना जारी करें तथा वृक्ष अधिकारी की सहायता करने का अवसर प्रदान करें।

वृक्ष अधिकारी दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अपने समक्ष होने वाली सभी कार्यवाहियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

5. **नोटिस**

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 31(घ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित वृक्ष अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस का प्रारूप प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6. **नोटिस भेजने का माध्यम-**

(1) इस मानक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक नोटिस या पत्राचार अपराध (अपराधों) को करने वाले संदिग्ध व्यक्ति (व्यक्तिओं)/ निजी संस्था/संगठन (विभगाध्यक्ष/अधिकारी/इकाई, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष या संगठन के अन्य अधिकारी) या किसी अन्य व्यक्ति को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा तथा यदि उपलब्ध हो तो ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।

(2) यदि कोई नोटिस या पत्राचार बिना तामील हुए वापस आ जाता है, उस पर यह लिखा होता है कि प्राप्तकर्ता ने नोटिस या पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तो नोटिस या पत्र को तामील किया हुआ मान लिया जाएगा।

(3) यदि नोटिस या पत्र इस टिप्पणी के साथ वापस आ जाता है कि प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं मिला, तो वृक्ष अधिकारी मामले के प्रभारी संबंधित वन कर्मी को सही पता सत्यापित करने तथा प्रदान करने का निर्देश देगा, और सही पता प्राप्त होने पर, ऐसेपते पर एक नया नोटिस या पत्र जारी किया जाएगा।

(4) जहां उप-प्रविष्टि (3) के अंतर्गत नोटिस या पत्र लौटा दिया जाता है, वहां वृक्ष अधिकारी संबंधित व्यक्ति के ज्ञात पते पर, जो कि अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत दिए गए पते सहित, प्रभारी वन कर्मी को अंतिम बार दिया गया था, किसी प्रमुख स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर या वृक्ष अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके से उसकी तामील करवाएगा और ऐसी तामील को पर्याप्त तामील माना जाएगा।

7. **साक्षी को समन**

यदि वृक्ष अधिकारी की राय में, उनके समक्ष मामले के उचित निर्णय के लिए किसी गवाह की उपस्थिति आवश्यक है, तो वृक्ष अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेंगे:

वृक्ष अधिकारी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 1 और 5, आदेश XVI के अनुसार समन जारी किया जाए।

8. **सम्मन भेजने का माध्यम**

1. इस मानक प्रक्रिया के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक समन साक्षी या किसी अन्य व्यक्ति को पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा तथा यदि ईमेल उपलब्ध हो तो ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।
2. यदि कोई समन बिना तामील हुए वापस आ जाता है और उस पर यह लिखा होता है कि प्राप्तकर्ता ने समन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तो समन को तामील किया हुआ मान लिया जाएगा।
3. यदि समन इस आशय के समर्थन के साथ लौटा दिया जाता है कि प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं मिला, तो वृक्ष अधिकारी मामले के प्रभारी संबंधित वन कर्मी को सही पता सत्यापित करने और प्रदान करने का निर्देश देगा, तथा सही पता प्रस्तुत किए जाने पर, ऐसे पते पर एक नया समन जारी किया जाएगा।

9. **किसी साक्षी को उपस्थिति और दस्तावेजों तथा भौतिक वस्तुओं के प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना।**

ऐसे मामलों में जहां अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्ति(व्यक्तिओं)/निजी संस्था/संगठन(विभगाध्यक्ष/अधिकारी/इकाई प्रमुख, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष या संगठन का अन्य अधिकारी) को, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, नोटिस जारी होने के बावजूद वृक्ष अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने पर, यदि किसी साक्षी को समन जारी किया गया है और वह साक्षीउक्त समन के अनुपालन में उपस्थित होने और/या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वृक्ष अधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:

वृक्ष अधिकारी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 10 ,आदेश XVI के अनुसार, संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।

10. **<u>सुनवाई की प्रक्रिया</u>**

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 31(घ) के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों में वृक्ष अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा:

1. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हों।
2. प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करें और लिखित (प्रस्तुति)प्रस्तुतियाँ, दस्तावेजों आदि प्रस्तुत करने का अवसर दें।
3. निर्धारित सुनवाई की तिथि पर, यदि अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्ति (व्यक्तिओं) /निजी संस्था/संगठन(विभगाध्यक्ष/अधिकारी/इकाईप्रमुख, निदेशक, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष या संगठन का कोई अन्य अधिकारी) तथा समनित कोई भी साक्षी, नोटिससमन की तामील होने के बावजूद /, स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं, और ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो वृक्ष अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मामले की जांच पूर्ण की जाए तथा अपने निष्कर्ष अभिलेखित रूप में दर्ज किए जाएं। तत्पश्चात, वृक्ष अधिकारी आवश्यकतानुसार मामले को अभियोजन हेतु सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, रेंज अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा तैयार कराकर दाखिल करवाएगा।
4. वृक्ष अधिकारी, यदि उचित समझे तो किसी भी शर्त पर तथा कार्यवाही के किसी भी चरण में सुनवाई स्थगित कर सकता है: बशर्ते कि कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसी स्थगन एक से अधिक बार नहीं दी जाएगी और दो सुनवाईयों के बीच पंद्रह दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होगा।
5. प्रत्येक सुनवाई के लिए लिखित आदेश पारित करें तथा सुनिश्चित करें कि वे निम्नलिखित हों:

   क) मामले से संबंधित पक्षों को नि:शुल्क भेजा गया, और

   ख) इसे ऐसे उद्देश्य के लिए समर्पित वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
6. शिकायत प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर जांच को अधिमानतः पूर्ण करें।।
7. मामले से संबंधित पक्षों को अंतिम आदेश की एक प्रमाणित प्रति नि:शुल्क भेजी जाएगी।

भाग-III

I. <u>नियंत्रण कक्षों की स्थापना</u>

मुख्यालयों तथा प्रभागों में नियंत्रण कक्ष:

(1) वन एवं वन्यजीव विभाग निम्नलिखित नियंत्रण कक्षों की स्थापना करेगा जो सप्ताह के सभी दिन, चौबीसों घंटे और पूरे वर्ष कार्यरत रहेंगे:

(क) मुख्यालय स्तर पर जिसे वन नियंत्रण कक्ष (एफसीआर) के रूप में जाना जाता है; और

(ख) प्रत्येक वन प्रभाग में जिसे प्रभाग नियंत्रण कक्ष (डीसीआर) के रूप में जाना जाता है।

(2) आवश्यकतानुसार, परिस्थिति-दर-परिस्थिति के आधार पर, दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा और केंद्रीकृत दुर्घटना एवं आघात सेवाओं के नियंत्रण कक्षों से सहायता ली जाएगी ताकि परिस्थिति अनुसार, तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

(3) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किसी अपराध की सूचना/जानकारी वन नियंत्रण कक्ष को प्राप्त होते ही, उसे तुरंत प्रभाग नियंत्रण कक्ष और मुख्यालय की त्वरित प्रतिक्रिया दलों को भेज दिया जाएगा। सूचना में घटना स्थल, सूचनादाता/ शिकायतकर्ता का फोन नंबर और अपराध की प्रकृति शामिल होगी।

(4) एफसीआर से सूचना प्राप्त होने पर, प्रभाग नियंत्रण कक्ष तुरंत निकटतम प्रभागीय त्वरित प्रतिक्रिया दल और बीट वन अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देगा।

(5) वन नियंत्रण कक्ष और प्रभाग नियंत्रण कक्ष (कक्षों) का नेतृत्व उपयुक्त रैंक के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।

(6) वन नियंत्रण कक्ष और प्रभाग नियंत्रण कक्ष (कक्षों), ऊपर क्रमांक (1) में उल्लिखित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी शिकायतों का निपटान करेंगे, जिनमें वृक्ष संबंधी शिकायतें, वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास और वन्यजीव संबंधी शिकायतें शामिल हैं।

II. <u>त्वरित प्रतिक्रिया दलों (क्यूआरटी) की स्थापना</u>

मुख्यालय तथा प्रभागों में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी):

(1) वन एवं वन्यजीव विभाग मुख्यालय स्तर पर और प्रत्येक वन प्रभाग में अधिनियम के जनादेश को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति और उपकरणों के साथ क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया दल) तैनात करेगा।

III. <u>एक समर्पित वेबसाइट का निर्माण</u>

1) वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली सरकार, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत की गई शिकायत के संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करने के लिए एक समर्पित वेबसाइट का अनुरक्षण करेगी।

IV.<u>अभियोजन /विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना</u>

1) <u>मुख्यालय स्तर पर विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना</u>:

क) वन एवं वन्यजीव विभाग अपने मुख्यालय में एक विधिक प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, जिसमें मामलों की कुशल निगरानी के लिए आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति और सुविधाएं होंगी। यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ख) विधिक प्रकोष्ठ विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों की निगरानी तथा देखरेख करेगा तथा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित वेबसाइट पर वास्तविक समय के आधार पर इसकी जानकारी अद्यतन करेगा।

2) <u>प्रभाग स्तर पर अभियोजन प्रकोष्ठ की स्थापना</u>:

क) वन एवं वन्यजीव विभाग प्रत्येक वृक्ष अधिकारी के अधीन एक अभियोजन प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, जिसमें मामलों के कुशल अभियोजन के लिए आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति तथा सुविधाएं होंगी।

ख) अभियोजन प्रकोष्ठ वृक्ष अधिकारियों के सभी अर्ध-न्यायिक कार्यों का रिकॉर्ड रखेगा, अर्ध-न्यायिक कार्यों के निर्वहन में वृक्ष अधिकारियों की सहायता करेगा, सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष अभियोजन के लिए मामले तैयार करेगा तथा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट वेबसाइट पर वास्तविक समय के आधार पर उनकी स्थिति को अद्यतन करेगा।

ये निर्देश शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

ये निर्देश इस संबंध में पहले जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों / निर्देशों का स्थान लेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 18th May, 2026

F. No. 1 (2585)/Legal/HQ/22-23/2280.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi, in public interest, hereby, notifies "Directions to Tree Officers on Standard Operating Procedure for dealing with Tree Offences under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994"

DIRECTIONS TO TREE OFFICER ON STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR DEALING WITH TREE OFFENCES UNDER THE DELHI PRESERVATION OF TREES ACT, 1994

(Notified under Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994)

WHEREAS, Trees and human life are inseparable and human life cannot be imagined without trees, further trees are important component of sustainable development in a society.

Whereas, Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 empowers State Government to give direction to Tree Officers, other officers of the Tree Authority and Officers subordinate to them general or special directions regarding the discharge of their functions and for carrying out effectively the purposes of the Act.

Therefore, in view of giving full and proper effect to the intent and purpose of the Delhi Preservation of Trees Act,1994 and for the preservation of Trees in the National Capital Territory, the Government of National Capital Territory of Delhi considers it expedient to issue directions under the powers vested in it by Section 33 of the Delhi Preservation ofTrees Act, 1994 to follow the Standard Operating Procedure (SOP) for effectuating the provisions for prevention of commission of offences under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for effective response on receipt of information of offence(s), for conducting hearings / proceedings / investigation / timely prosecution by the Tree officers for the offences and violations under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 and mattersancillary thereto.

The following directions shall be called the "*Standard Operating Procedures for dealing with Tree Offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994; 2026*":

PART-I

I. **Receipt of Information of Offence–Quick Response Mechanism**

1. Information regarding an offence can be received by way of–

   (i) Calls received on the 'Green Helpline'

   (ii) Information submitted online on a dedicated website already created for this purpose i.e. https://ghl.eforest.delhi.gov.in.

   (iii) Information submitted offline through letters / hand-written complaints.

   (iv) Information forwarded through Green Delhi App/ 311 or any other app developed by Delhi Government.

2. The Range Officer / Range In-Charge concerned will register a First Offence Report (FOR) under Section 22 of the DPTA, 1994. All such information shall be transmitted forthwith in real time to the Forest Control Room, Division Control Room and Beat Officer concerned and to Land-Owning agency for immediate action as enumerated in the table below:-

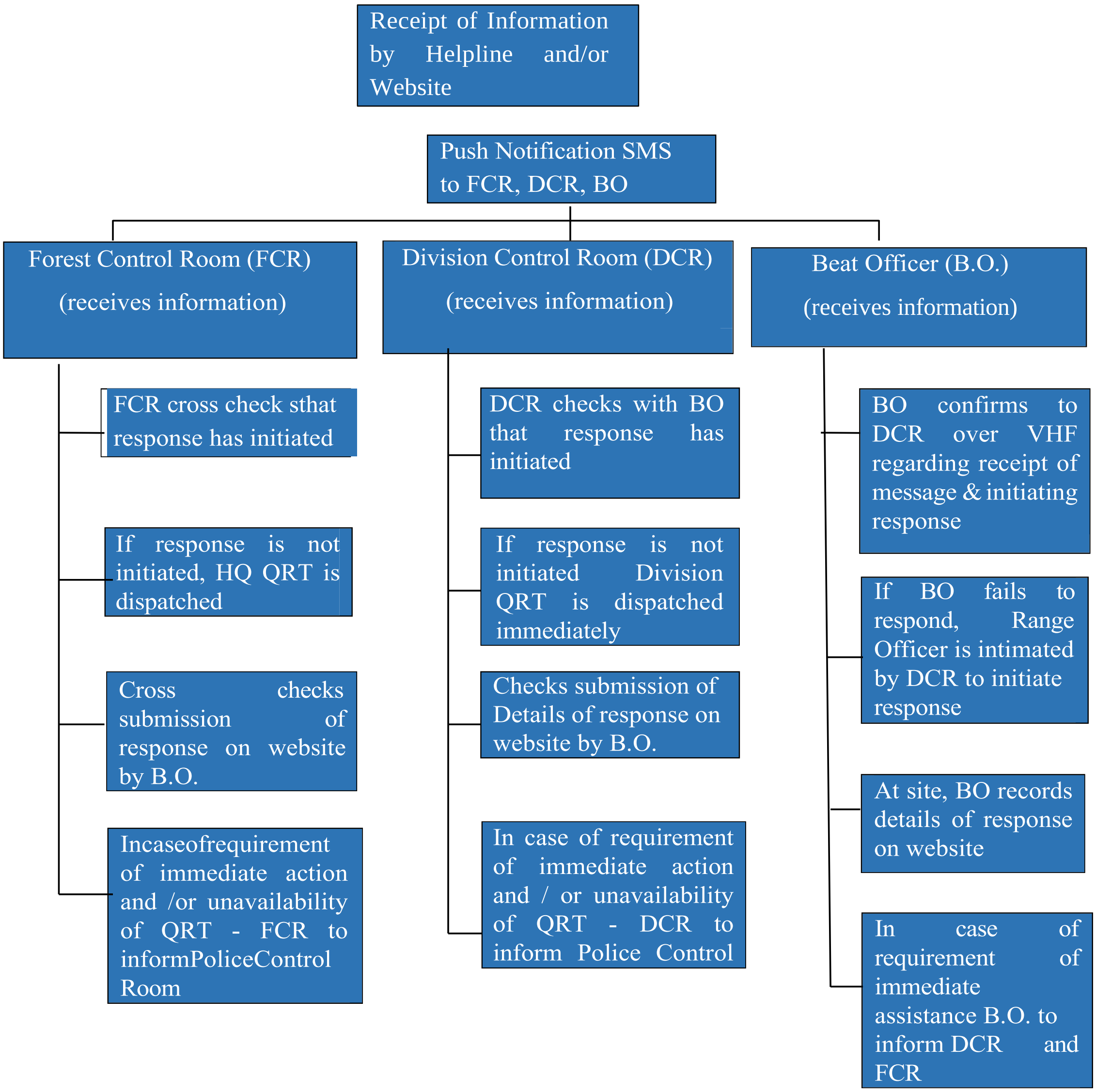

II. <u>Action at Site by Quick Response Team (QRT)</u>

1. The QRT personnel shall ensure that status quo is maintained at site and shall for this purpose:

   a) Interfere to stop the commission of the offence and prevent further commissionof the offence.

   b) Take geo-referenced photographs of the site, video recording of the person(s) suspected of committing the offence including tools, implements, any boats, vehicles, animal other conveyances used for the commission of the said offence, along with the Tree or part thereof, which has been severed from the ground or the trunk, as the case may be.

   c) Record in writing the name and address of the person(s) suspected of committing the offence.

   d) Take any person(s), reasonably suspected of having been concerned in the offence committed, and where such person refuses to give his name or address or gives a name or address which the concerned officer has reasonto believe to be false or if he has reason to believe that the person will abscond, to the concerned Range Officer for further action.

   e) Cordon the site of the Offence till such time the Beat Officer / Dy. Range Officer / Range Forest Officer arrives.

2. The QRT shall leave the site only after arrival of the concerned Beat Officer at the site and handing over of all necessary information collected in terms of entry II (1) above.

III. Action at Site by Beat Officer

1. Preventive Measures

In cases where there is apprehension of commission of offence the concerned Beat Officer shall:

a) Take geo-referenced photographs and geo-coordinates of all the Trees at the site.

b) Inform the Public Land-Owning Agency on their respective Control Room Number(s) and in writing to the concerned Officer (s) in Charge, and in cases of private land owner–to the respective Owner / Occupier, wherever there is apprehension of commission of an offence due to digging/excavation near the Trees, deterioration of visible health of Trees, barricading of construction area(s) which block the direct line of sight to the Tree(s),erosion of soil etc. and submit a copy of the aforesaid intimation to the Local Police Station.

c) Wherever there is reasonable apprehension of contravention of Section 8 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 and / or preparation to commit such contravention, the concerned Beat Officer / Forest Guard shall upon direction of the Tree Officer, or the Tree Officer himself / herself issue a Restraining Order in writing under Section 20 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994,to the concerned person(s) and cause the said Order to be sent to the concerned Land-Owning Agency and the jurisdictional Police Station with a request to ensure that no offence is committed and status quo is maintained at the site.

d) The Tree Officer shall also cause the Restraining Order so issued or a copy thereof to be affixed in some conspicuous place at the site or in such other manner as the Tree Officer may think fit.

2. **Interception of Offence in progress**

(i) In cases where Offence has been partly committed and/ or is underway, the concerned Forest Official shall:

a) Interfere to stop the commission of the offence and prevent further commission of offence(s).

b) Take geo-referenced photographs, video recording of the person(s) suspected of committing the offence including tools, implements, any boats, vehicles, animals or other conveyances used for the commission of the said offence(s), along with the Tree or part there of, which has been damaged and/or severed from the ground or the trunk, as the case maybe.

c) Record in writing the name and address of the person(s) suspected of committing the offence and take a copy of their identity and address proof.

d) Take any person(s) reasonably suspected of having been concerned in the offence committed, and where such person refuses to give his name or address or gives a name or address which the concerned officer has reason to believe to be false or if he has reason to believe that the person will abscond, to Range Officer or any officer superior to him arrives at the site for further action.

e) Cordon the site of the Offence till such time the inquiry is completed.

f) Inform the Public Land - Owning Agency on their respective Control Room Number(s) and in writing to the concerned Officer(s) in Charge and in cases of private land owner–to the respective Owner / Occupier verbally and in writing, specifically identifying the offence committed.

g) Intimate in writing to the Local Police Station specifically enumerating the offence(s) committed.

h) Request the concerned Tree Officer to seize the tools, implements, any boats, vehicles, animals or other conveyances used or the commission of the said offence, along with the Treeorpart there of, which has been severed from the ground or the trunk, as the case may be.

i) Safely transport seized objects and material to the site designated by the Tree Officer.

(ii) Wherever there is apprehension of further commission of offence(s), the Tree Officer shall issue a Restraining Order in writing under Section 20 read with Section 31 (d) of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, to the concerned person(s) and cause the said Order to be sent to the concerned Land-Owning Agency and the jurisdictional Police Station with a request to ensure that no further offence is committed and status quo is maintained at the site. The Tree Officer shall also cause the same to be served by fixing a copy thereof in some conspicuous place at the known address of the person concerned with the offence which was last given to the forest official in-charge including the address given under Section 19 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, or in such other manner as the Tree Officer may think fit and such service shall be deemed to be sufficient service.

(iii) Wherever there is a violation of the Restraining Order so issued, the Tree Officer shall intimate the concerned Police Station under Section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Section 154 of the Criminal Procedure Code, 1973), to take appropriate penal action in accordance with law.

(iv) The Tree Officer shall ensure that powers conferred by Section 11(2)of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 are exercised for protection and preservation of Trees, where necessary, by way of a reasoned and speaking Order.

(v) **Notwithstanding the foregoing,** the concerned forest Official or Tree Officer, as the case may be, shall in cases where aide and assistance of the Police is required for implementing the provisions of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 and these SOP, shall seek the assistance of the Station House Officer of the Police Station concerned having jurisdiction over the site or area. The concerned Forest Official or Tree Officer shall intimate the concerned Station House Officer that his aid and assistance is being sought in terms ofthe directions of the Hon'ble High Court of Delhi passed vide itsOrder dated 14.03.2022 in Contempt Case (Civil) No. 220 of 2022*New Delhi Nature Society v Sh. Rajesh Bansal and Ors.*, wherein the Hon'ble High Court has directed that as and when are quest for police assistance is made by the Tree Officer or a Forest Guard, the SHO concerned shall depute at-least two police officers so that there is no threat to the life and limb of the said Forest Personnel. It was further directed that provision of further security would also be duly considered and provided by the local police upon such request being made by the Tree Officer.

3. **Resolution in cases of conflict to Territorial jurisdiction of Tree Officers**

Whenever, in cases where offence has been detected and there is a conflict in ascertaining the territorial jurisdiction between separate forest divisions, the decision of the Conservator of Forests shall be final and binding. Provided that there shall be no delay in actions prescribed in Part-I above by the Forest Officials responding at the first instance.

PART–II

PROCEEDINGS BEFORE THE TREE OFFICER

4. **Inquiry**

In all cases of Offence(s) and alleged offence(s), the concerned Tree Officer shall:

a) Cause the concerned Forest Official / Beat Officer to gather evidence from the site, including but not limited to CCTV footage in and around the site of the offence, gather local human intelligence and record contact details and statements of eyewitnesses, if any, and take all such measures that may be required for gathering evidence regarding the offence committed.

b) Issue a 'Notice' to the Person(s) / Private Entity / Organization (Head of the Department / officer/ unit, director, manager, secretary, treasurer or otherofficer of the organization) suspected of committing the offence(s), to appear before him on such date and time as maybe fixed for holding an inquiry under Section 31(d) of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

c) Issue intimation to the Complainant/ Informant informing him/her of the date of Hearing and / or proceedings initiated and grants an opportunity to assist the Tree Officer.

The Tree Officer shall be guided by the principles of Natural Justice in all proceedings before it under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

5. **Notice**

A Notice for inquiry into offences shall be issued by the Tree Officer concerned by the powers vested under Section 31(d) of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994. The format of the Notice shall be as prescribed by Principal Chief Conservator of Forests / HoD.

6. **Mode of Sending Notice-**

(1) Every Notice or correspondence under this SOP shall be sent to the Person(s)/ Private Entity/ Organization (Head of the Department/ officer/ unit, director, manager, secretary, treasurer or other officer of the organization) suspected of committing the offence(s) or any other person, by registered post with acknowledgement due and by e-mail if same is available.

(2) If any Notice or correspondence is returned unserved with an endorsement to the effect that the addressee had refused to accept the Notice or letter, the notice or letter shall be deemed to have been served.

(3) If the Notice or letter is returned with an endorsement to the effect that the addressee cannot be found at the address given, the Tree Officer shall direct the concerned Forest official in charge of the case to verify and provide the correct address, and on production of the correct address, a fresh Notice or letter shall be issued at such address.

(4) Where the notice or letter is returned under sub-entry (3) above, the Tree Officer shall cause the same to be served by fixing a copy thereof in some conspicuous place at the known address of the person concerned which was last given to the forest official in-charge including the address given under Section19 of the Act, or in such other manner as the Tree Officer may think fit and such service shall be deemed to be sufficient service.

7. Summons to witness

Wherein the opinion of the Tree Officer, the presence of a witness is necessary for just adjudication of the matter before him/ her, the Tree Officer shall:

Issue a summons in terms of Order XVI Rule1 and 5 of the Code of Civil Procedure, 1908 by the Tree Officer.

8. Mode of Sendng Summon

1. Every Summon under this SOP shall be sent to the witness or any other person, by registered post with acknowledgement due and by e-mail if same is available.

2. If any Summon is returned un-served with an endorsement to the effect that the addressee had refused to accept the Summon, the Summon shall be deemed to have been served.

3. If the Summon is returned with an endorsement to the effect that the addressee cannot be found at the address given, the Tree Officer shall direct the concerned Forest official in charge of the case to verify and provide the correct address, and on production of the correct address, a fresh Summon shall be issued at such address.

9. **Compelling attendance of a witness and the production of documents and material objects.**

In cases where the Person(s) / Private Entity / Organization (Head of the Department/ officer/ unit, director, manager, secretary, treasurer or other officer of the organization) suspected of committing the offence(s), to whom a Notice has been issued fails to appear before the Tree Officer, or

In cases where summon has been issued to a witness and the witness fails to appear and/or produce any document in compliance of the said summon, the Tree Officer may:

Issue a Warrant of Arrest in terms of Order XVI Rule 10 of the Code of Civil Procedure, 1908, by the Tree Officer through the Police Station concerned.

10. **Procedure for Hearing**

In all proceedings under Section 31(d) of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Tree Officer shall:

1. Be guided by the Principles of Natural Justice.
2. Afford an opportunity to each party to be heard and to file written submission(s), documents etc.
3. On the date of hearing fixed, if the Person(s)/ Private Entity/ Organization (Head of the Department / Officer / Unit, Director, Manager, Secretary, Treasurer or other officer of the organization) suspected of committing the offence(s) and any witnesses summoned, in spite of the service of Notice/ summon, does not appear either in person or through his authorized representative,andwherethepresenceofsuchpersoncouldnotbe ensured, the Tree Officer shall proceed to ensure that the inquiry in the matter is concluded and arrive at a finding which shall be reduced inwriting. The Tree Officer shall then cause the matter to be prepared andfiled for prosecution beforetheCourtof competent jurisdiction by an officer not below the rank of Range officer, wherever necessary.
4. The Tree Officer may, on such terms as he/ she thinks fit, and at any stage of the proceedings, adjourn the hearing: Provided that such adjournment shall not be given more than once at any stage of the proceedings and there shall be no more than fifteen days in between two hearings.
5. Pass written Orders for every hearing and ensure that the same is:
   a. sent, free of charge, to the parties in the matter, and
   b. uploaded on the website dedicated for such purpose.
6. Conclude the inquiry preferably within two months from the date of receipt

   of the complaint.
7. Shall cause to be sent, free of charge, to the parties in the matter, a certified copy of the final order.

PART-III

I. Establishment of Control Rooms

Control Room at Head quarters and Divisions:

(1) The Department of Forests and Wildlife shall establish following Control Rooms which shall function twenty-four hours a day, on all days of the week and through out the year:

(a) At Head quarter level known as the Forest Control Room (FCR); and

(b) In every forest division known as the Division Control Room (DCR)

(2) As per requirement on case-to-case basis assistance shall be sought from the Control Rooms of the Delhi Police, Delhi Fire Service and Centralized Accident and Trauma Services for ensuring immediate response as and when the situationso requires.

(3) As and when intimation / information of an offence is received under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 by the Forest Control Room, the same shall be transmitted in real time to the Division Control Room and the Quick Response Teams of the Headquarters. The Information shall include the Location of the Incident, Phone Number of the Informant / Complainant and nature of the offence.

(4) Upon receipt of information from the FCR, the Division Control Rooms shall forth with direct the nearest Divisional Quick Response Team and the beat Forest Officer to respond immediately.

(5) The Forest Control Room and the Division Control Room(s) shall be headed byan officer / official of appropriate rank.

(6) The Forest Control Room and the Division Control Room(s) shall handle all the complaints reported through various sources mentioned at serial no (1) above including tree, attempt of encroachment of forest land and wildlife – related complaints.

II. Establishment of Quick Response Teams (QRT)

Quick Response Team(s) (QRT) at Head quarters and Divisions:

(1) The Department of Forests and Wildlife shall deploy QRT's at Headquarter level and in every forest division with adequate manpower and equipment necessary to carry out the mandate site of the Act.

III. Creation of a dedicated Website

1)The Department of Forests and Wildlife, GNCTD shall maintain a dedicated website to cover the entire life cycle of a complaint made under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

IV. Establishment of Prosecution / Legal Cell

1) Establishment of Legal Cell at Head quarter Level:

a. The Department of Forests and Wildlife shall establish a Legal Cell at its Headquarters, with adequate manpower and facilities so required for efficient monitoring of cases. This provision shall come into immediate effect.

b. The Legal Cell shall supervise and monitor the contesting of the cases in various Courts of law and update the same in real time basis on the website designated for this purpose.

2) Establishment of Prosecution Cell at Division Level:

a. The Department of Forests and Wildlife shall establish a Prosecution Cell under each Tree officer, with adequate manpower and facilities so required for efficient prosecution of cases.

b. The prosecution cell shall maintain record of all quasi- judicial functions of Tree Officers, assist Tree Officers in discharge of quasi-judicial functions, prepare cases for prosecution before the Court of competent jurisdiction, and update the status of the same in real time basis on the website designated for this purpose.

These directions shall come into force on the date of its publication in Official Gazette.

These directions shall supersede all earlier guidelines / directions issued in this regard.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.23 17:47:24 +05'30'

4146
ANNEXURE R-6

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27082025-265745
SG-DL-E-27082025-265745

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 195
No. 252]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947	[N. C. T. D. No. 195

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

फा. सं. 8(03)/वन/मुख्या./योजना/2019/भाग–2/7085.—जबकि, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 05.10.2015 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुपालन में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा–निर्देश, 2016 तैयार किए हैं तथा इसे दिनांक 11.11.2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त दिशा–निर्देशों में संशोधन किया है तथा इसे दिनांक 11.09.2017 और 22.02.2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा–निर्देश, 2016 में राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने मौजूदा नियमों को समय–समय पर यथा संशोधित इन दिशा–निर्देशों के अनुरूप बनाएं;

अब, इसलिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा–निर्देश, 2016 दिनांक 11.11.2016 के साथ–साथ दिनांक 11.09.2017 तथा 22.02.2019 के संशोधनों को एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपनाया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संदीप कुमार, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 20th August, 2025

F. No. 8(03)/Forest/HQ/Plg./2019/Part-2/7085.— WHEREAS, in compliance with the directions contained in order, dated 05.10.2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995, in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has formulated the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 and the same were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 11.11.2016;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has amended the said guidelines and the same were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 11.09.2017 & 22.02.2019;

AND WHEREAS, the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 requires the States to bring their existing rules in conformity to these guidelines as amended from time to time;

Now, therefore, the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 dated 11.11.2016 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India along with the amendments dated 11.09.2017 and 22.02.2019 are hereby adopted by the Govt. of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

SANDEEP KUMAR, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27082025-265738
SG-DL-E-27082025-265738

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 196
No. 253] DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947 [N. C. T. D. No. 196

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

विषयः राजपत्र अधिसूचना के दिनांक 11.11.2016 के द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा–निर्देश, 2016 के परिच्छेद (3) के अनुसार राज्य स्तरीय समिति के गठन के संबंध में।

फा.स. 8(03)/वन/मुख्या./योजना/2019/भाग–2/7086.—जबकि, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 05.10.2015 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुपालन में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा–निर्देश, 2016 तैयार किए हैं तथा इसे दिनांक 11.11.2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त दिशा–निर्देशों में संशोधन किया है तथा इसे दिनांक 11.09.2017 और 22.02.2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

और जबकि, दिशा–निर्देशों के परिच्छेद (3) में उक्त दिशा–निर्देशों में निर्धारित कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान है।

काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा–निर्देश, 2016, दिनांक 11.11.2016 के परिच्छेद (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद् द्वारा एक राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक/एपीसीसीएफ एवं विभागाध्यक्ष, वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष
2.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (लखनऊ) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव (ई एवं एफ), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
4.	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य
5.	मण्डलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, जो उपायुक्त के रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
6.	आयुक्त, एमसीडी का प्रतिनिधि, जो अपर आयुक्त, एमसीडी के रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
7.	उद्योग विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, जो उपायुक्त के रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
8.	वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य सचिव

समिति काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा–निर्देश, 2016, दिनांक 11.11.2016 में यथा निर्धारित कार्यों का निष्पादन करेगी, जिसे दिनांक 11.09.2017 तथा 22.02.2019 के राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संदीप कुमार, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 20th August, 2025

Sub: Constitution of State Level Committee as per para (3) of the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 vide Gazette Notification, dated 11.11.2016-reg.

F. No. 8(03)/Forest/HQ/Plg./2019/Part-2/7086.—WHEREAS, in compliance with the directions contained in order, dated 05.10.2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995, in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has formulated the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 and the same were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 11.11.2016;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has amended the said guidelines and the same were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 11.09.2017& 22.02.2019.

AND WHEREAS, the para (3) of the guidelines provides for the constitution of a State Level Committee to perform the functions stipulated in the said guidelines.

In exercise of the powers conferred by Para (3) of Wood Based Industries (Establishment & Regulation) Guidelines, 2016 dated 11.11.2016, the Govt. of NCT of Delhi hereby constitutes a State Level Committee (SLC) consisting of the following members:

1.	Principal Chief Conservator of Forests/ APCCF &HoD, Department of Forests & Wildlife, GNCTD	Chairperson
2.	A representative of the Regional Office (Lucknow), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, GoI	Member

3.	Special Secretary /Joint Secretary /Dy. Secretary (E&F), GNCTD	Member
4.	Chief Conservator of Forests (Admn.), Department of Forests & Wildlife, GNCTD	Member
5.	Representative of Divisional Commissioner, GNCTD not below the rank of Deputy Commissioner	Member
6.	Representative of Commissioner, MCD not below the rank of Additional Commissioner, MCD	Member
7.	Representative of Department of Industries, GNCTD not below the rank of Deputy Commissioner	Member
8.	Conservator of Forests, Department of Forests & Wildlife, GNCTD	Member Secretary

The committee shall perform the functions as stipulated in the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016 dated 11.11.2016 amended vide Gazette Notification dated 11.09.2017 and 22.02.2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SANDEEP KUMAR, Principal Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF FORESTS & WILDLIFE
A-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P.ESTATE
NEW DELHI-110002.

No. FAWL-L/1/2025/e-227168/Tree Cell/ 15661-67 Dated: 06/02/26

SANCTION

Sanction of the Competent Authority is hereby conveyed for payment of Rs. 2,90,000,00/- Rupees (Two Crore Ninety Lakh Only) to Forest Research Institute (FRI) (for Phase-I out of total amounting to Rs. 393.88 lakh of total amount) as advance on account of carrying out Tree Census in NCT of Delhi in compliance of directions of the Hon'ble Supreme Court of India in W.P. (C) 4677 / 1985, in the matter of titled as M.C Mehta vs. UOI & Ors.

The expenditure on this account is debitable from Head of Account MH-2406-02-112-990027 –Development of Forest including consolidation (Minor works) for the financial year 2025-26.

Deputy Conservator of Forests (P&M)

No. FAWL-L/1/2025/e-227168/Tree Cell/ 15661-67 Dated: 06/02/26

Copy to:-

1. PCCF & HOD, Department of Forests and Wildlife, GNCT of Delhi, Vikas Bhawan, ITO, New Delhi-02 for kind information.
2. CCF (A), Department of Forests and Wildlife, GNCT of Delhi for kind information
3. DCF (P&M), Department of Forests and Wildlife, GNCT of Delhi.
4. PAO-X, Delhi Sectt., New Delhi-02.
5. Sr. AO, Department of Forests and Wildlife, GNCT of Delhi, Vikas Bhawan, ITO, New Delhi-02.
6. A.A.O / D.D.O (HQ), Department of Forests and Wildlife, GNCT of Delhi, Vikas Bhawan, ITO, New Delhi-02.
7. Guard File.

Deputy Conservator of Forests (P&M)

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 911/2022

IN THE MATTER OF:

NGT Bar Association (substituted for original applicants Prof. Dr. Sanjeev Bagai & Ors.) ... Applicant

Vs

Department of Environment GNCTD & Ors. ... Respondents

AFFIDAVIT

I, Amit Gemawat S/o Late. Sh. Ajit Gemawat aged 36 years, currently posted as Deputy Conservator of Forests (P&M), Department of Forests and Wildlife, Government of NCT of Delhi, being well conversant with the facts and such duly authorized in my official capacity do hereby solemnly affirm as under:-

1. That, I am well conversant with the facts of the present case and as such am duly authorized and competent to affirm the present status report.

2. The deponent is competent to swear this affidavit in his official capacity on behalf of Department of Forests and Wildlife, GNCTD.

3. That the contents of the accompanying reply has been drafted by my counsel as per my instruction and the contents of the same have been duly read over and understood by me and after fully understanding the contents of the same, I hereby state that the

The Seal of Oath Commissioner App. by Delhi Admn. Delhi Regn. No. 10/96 AZAD KUMAR, Advocate

facts stated therein are all true and correct to the best of my knowledge.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Delhi on this 19 JUN 2026 day of June, 2026 that the contents of my aforesaid affidavit are true and correct to the best of my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

The Seal of Oath Commissioner ★ AZAD KUMAR, Advocate ★ App. by Delhi Admn. Delhi Regn. No. 10/96

ATTESTED
BY OATH COMMISSIONER
AZAD KUMAR, ADVOCATE
NEW DELHI (INDIA)

CABIN No.-33
ITO Lane, Azad Bhawan Road
New Delhi-110002

19 JUN 2026